FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0272 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 15/10/2025 19:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 07/10/2025 Date To (दिनांक तक): 13/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 13:57 बजे Time To (समय तक): 12:38 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 15/10/2025 Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 15/10/2025 19:10:29 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 535 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLI

(b)Address(पता): POLICE THANA SADAR CHORAHA, DUNGARPUR JILA DUNGARPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name(नाम): KANHAIYALAL KATARA
(b) Father's Name (पिता का नाम): RATANA KATARA
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1969 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No(यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RELRA PHALA MATHUGAMADA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RELRA PHALA MATHUGAMADA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ABHIMANU KUMAR SINGH		पिता:ARUN SINGH	1. H 224,NAI POLICE LINE TAYAP 01, KINGHWAY CAMP, DR.MUKHARJI NAGAR,NORTH-WEST,MADAL TOWAN,नई दिल्ली, दिल्ली,INDIA
2	BHUPENDRA KUMAR PARMAR		पिता:KARILAL PARMAR	1. GOAN PAGARA,DOWARA,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		45,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 45,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी,वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 07.10.2025 को समय 01.57 पी.एम पर श्रीमान रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र सिंह को जरीये मोबाईल कॉल कर निर्देश दिये की मै राजकार्य से बाहर हुं परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा का मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल आया तथा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने मुझे बताया की मुझसे बैंक मेनेजर साहब मेरे लोन पास करने की एवंज मे रिश्वत राशि मांग रहे है। जिस पर परिवादी व उसके पुत्र को ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित होने हेतु तथा मामले की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी के कार्यालय मे उपस्थित आने पर नियमानुसार कार्यवाही करावे। तत्पश्चात समय करीब 02.20 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा उपस्थित चोकी होकर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक को इस आशय की पेश की कि "मुझ प्रार्थी कन्हैयालाल पिता रतना कटारा निवासी रेलडा फला माथुगामडा जिला डूंगरपुर का निवेदन है कि मेरे व मेरे भाई शंकरलाल व मेरी माँ राजु के नाम से राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा मेताली से हमने हमारी कृषी भुमी पर लोन के लिए अलग अलग आवेदन किया है जिसमे मे मेरे 4 लाख रूपए का लोन के लिए व मेरे भाई व मेरी माँ के नाम से भी उन्होंने लोन के लिए आवेदन किया है हम तिनो के लिए कुल 11 लाख रूपये के लिए आवेदन किया था जिसके हमारे लोन पास हो गया है मेरे 4 लाख लोन मे से कल दिनांक 06.10.25 को मै बैंक मे गया तब बैंक मेनेझर अभिमन्यु कुमार सिंह से मिला तो उन्होने मुझे 2 लाख रूपऐे लोन के दिये 2 लाख रूपऐ बाकी रखे व कहा कि तुम्हारे व तुम्हारे परिवार वालो के मेने जो 11 लाख रूपऐ का लोन पास किया है उसके लिए तुम मुझे पचास हजार रूपऐ दो जो 50 हजार रूपऐ मे बताता हु उसको दे देना फिर आज भी मे मेरे बाकी दो लाख रूपये लेने बैंक मे गया तो मेनेझर ने लोन पास करने के लिए मेरे से 50 हजार रूपऐ कि रिश्वत मान्गी है व कहा कि मेरा आदमी तुम्हारे से सम्पर्क करेगा उसको पैसे दे देना आज दिन मे मेरे मोबाईल न. [redacted] पर नम्बर [redacted] से मोबाईल कॉल आया और बोला कि मे मेनेझर का आदमी बोल रहा हु जो काम मेनेझर ने बोला है वो मेरे को कर दो। उसके बाद मे व मेरा बेटा शैलेष यहा पर आए है मेरी बैंक मेनेझर से कोई लेन देन बाकी नही है एवं नही उससे कोई पुरानी रणजीस है यह प्राथना पत्र मेरे बेटे ने लिखा है मे बैंक मेनझर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं कार्यवाही करावे।" प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को पढकर सुनाया गया तो परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने शब्द-ब-शब्द सही होना व प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। माजिद पूछताछ पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने बताया कि बैंक मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह हम तीनो के लोन पास करने की एवज में 50000 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। जब तक हम रिश्वत राशि नही देंगे तब तक वो हमे हमारे लोन की पूरी राशि नही देगा। दरियाप्त पर मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को ब्यूरो की ट्रैप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय के कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा और कानि0 श्री महेषचन्द्र नं0 394 का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा व कानि0 के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकाल कर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर

डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी व उसके पुत्र को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत दी गई तथा कानि. श्री महेशचन्द्र नं0 394 व परिवादी श्री कन्हैयालाल मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के परिवादी की मोटर साईकिल से तथा परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को कानि. श्री महेशचन्द्र की मोटर साईकिल से समय 03.10 पी.एम पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना किया गया। हालात पुलिस उप अधीक्षक सर को जरिये मोबाईल अर्ज किये गये। समय करीब 04.30 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा कानि. श्री महेशचन्द्र नं0 394 उपस्थित चोकी हो कानि. ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा मै मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ जा रहे थे की रास्ते मे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने समय करीब 03.26 पी.एम पर बताया की बैंक मैनेजर के एजेन्ट का कॉल मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर ऐजेन्ट के मोबाईल नम्बर[redacted]से आ रहा है। जिस पर मोटर साईकिल को साईट मे खडा कर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा वार्ता करवाई गई तथा परिवादी के पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 03.28 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर[redacted] पर एजेन्ट के मोबाईल नम्बर[redacted] से कॉल फिर आया जिस पर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा वार्ता करवाई गई तथा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात वहा से रवाना हो राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस पास पंहुच कर समय करीब 03.43 पी.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी से प्राप्त कर चालू कर परिवादी श्री कन्हैयालाल को सुपुर्द कर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया तथा मै राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 03.58 पीएम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा मेरे पास आकर परिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात हम मोटर साईकिलो से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा ने कानि के कथनो की ताहिद की जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा परिवादी श्री कन्हैयालाल बैंक मैनेजर के एजेन्ट की मोबाईल वार्ता व परिवादी तथा संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नही होने के कारण विस्तृत हालात पुलिस उप अधीक्षक सर को निवेदन किये गये तो उनके द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि एक बार पुन मांग सत्यापन करवाया जाना उचित रहेगा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखा गया। परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराया जाकर निर्देशित किया गया कि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नहीं होने से एक बार पुन संदिग्ध से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की जानी आवश्यक हैं। दिनांक 08.10.2025 को ब्यूरो कार्यालय में समय 10.30 एएम पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर समय करीब 06.00 पीएम पर रवाना किये गये। दिनांक 08.10.2025 को समय 10.45 पी.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे कार्यालय मे बिठाया गया। समय करीब 11.15 ए.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मेनेजर साहब के मोबाईल नम्बर[redacted]से मेरे मोबाईल नम्बर[redacted]पर कॉल आ रहा है। जिस पर पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा परिवादी की संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से वार्ता करवाई गई तथा उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया।

तत्पश्चात समय 11.22 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल को संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुपुर्द कर परिवादी श्री कन्हैयालाल व कानि. श्री महेशचन्द्र न. 394 को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से एवं परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को कानि. श्री महेशचन्द्र की निजी मोटरसाईकिल से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना किया गया। समय करीब 01.00 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा कानि. श्री

महेशचन्द्र नं0 394 उपस्थित चैकी हो कानि. ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा मै मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास पंहुच कर समय करीब 11.46 ए.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी से प्राप्त कर चालू कर परिवादी श्री कन्हैयालाल को सुपुर्द कर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया तथा मै राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 12.20 पीएम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा मेरे पास आकर परिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात हम मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुए रास्ते मे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने समय करीब 12.24 पी.एम पर मुझ कानि को बताया की बैंक मैनेजर के एजेन्ट का कॉल मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर एजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] से आ रहा है। जिस पर मोटर साईकिल को साईड मे खडा कर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा वार्ता करवाई गई तथा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पष्चात समय करीब 12.28 पी.एम व 12.33 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर एजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल फिर आये जिसे भी परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा वार्तायें करवाई गई तथा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ताओ को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.44 पी.एम व 12.46 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल आये जिसे भी परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा वार्तायें करवाई गई तथा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ताओ को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा ने कानि के कथनो की ताहिद करते हुये बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब ने मुझे मेरे लोन के एक लाख रूपये दिये व एक लाख रूपये बाकी रखे है। तत्पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा परिवादी श्री कन्हैया लाल बैंक मैनेजर के एजेन्ट की मोबाईल वार्ता व परिवादी तथा संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन मोबाईल व रूबरू वार्ताओ को चलाकर सुना गया तो तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नही होने के कारण विस्तृत हालात पुलिस उप अधीक्षक सर को निवेदन किये गये तो उनके द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया की एक बार पुन मांग सत्यापन करवाया जाना उचित रहेगा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराया जाकर निर्देशित किया गया कि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नहीं होने से एक बार पुन संदिग्ध से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की जानी आवश्यक हैं। जिस पर परिवादी व परिवादी के पुत्र को कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 02.10 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल आ रहा है। जिस पर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा परिवादी की संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से वार्ता करवाई गई। परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 03.02 पी.एम व 03.03 पी.एम तथा 03.28 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल आये जिसे भी परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा वार्तायें करवाई गई तथा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ताओ को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब बहुत ही चालाक व होशियार व्यक्ति है, जो बहुत धीरे-धीरे बोलता है। परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर द्वारा बार-बार परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के मोबाईल पर कॉल करना यह स्पष्ट करता है की संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर परिवादी से रिश्वत राशि लेना चाहता है। लेकिन श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब बहुत ही चालाक व होशियार किस्म का व्यक्ति है। तत्पश्चात समय 04.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा को संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुपुर्द कर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व कानि. श्री महेशचन्द्र न. 394 को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से एवं परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को कानि. श्री महेशचन्द्र की निजी मोटरसाईकिल से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.10 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा कानि. श्री महेशचन्द्र

नं0 394 उपस्थित चैकी हो कानि. ने वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा मै मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास पंहुच कर समय करीब 04.32 पी.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी से प्राप्त कर चालू कर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा को सुपुर्द कर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया तथा मै राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 04.52 पीएम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा मेरे पास आकर परिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात हम मोटर साईकिलो से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा ने कानि के कथनो की ताहिद की जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा परिवादी श्री कन्हैया लाल व संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नही होने के कारण विस्तृत हालात पुलिस उप अधीक्षक सर को निवेदन किये गये तो उनके द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि एक बार पुन मांग सत्यापन करवाया जाना उचित रहेगा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराया जिस परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब अब मुझसे रिश्वत राशि लेन-देन की बात नही करेंगे मेरी उनसे बहस हो गई है। श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब बहुत ही चालाक व होशियार व्यक्ति है, जो बहुत धीरे-धीरे बोलता है तथा रिश्वत राशि खुद नही लेकर दुसरे व्यक्ति को दिलवाता है। अब रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मेरे भाई शंकरलाल कटारा से कराया जाना उचित रहेगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखा गया। परिवादी के बताये अनुसार दिनांक 09.10.2025 को ब्यूरो कार्यालय में समय 11.00 एएम पर परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा व परिवादी के भाई श्री शंकरलाल कटारा को उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर समय करीब 06.00 पीएम पर रवाना किये गये। दिनांक 09.10.2025 को समय करीब 10.15 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा व परिवादी का भाई श्री शंकरलाल कटारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। परिवादी श्री कन्हैया लाल द्वारा पेश दिनांक 07.10.2025 के प्रार्थना पत्र को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को पढकर सुनाया गया तो सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने शब्द-ब-शब्द सही होना स्वीकार किया व प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये। माजिद पूछताछ पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने बताया कि मैने व मेरे भाई श्री कन्हैयालाल कटारा एवं मेरी माता श्रीमति राजु ने लोन हेतु आवेदन किया है। मेरे भाई श्री कन्हैयालाल कटारा ने मुझे बताया था की बैंक मैनेजर श्री अभिमन्यु कुमार सिंह लोन पास करने की एवज में 50,000 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। जब तक हम रिश्वत राशि नही देंगे तब तक वो हमे हमारे लोन की पूरी राशि नही देगा । सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को ब्यूरो की ट्रैप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय के कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष मे बुलाकर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 का आपस में परिचय कराया गया मन् पुलिस निरीक्षक ने अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर समय 11.10 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सपरिवादी को संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुपुर्द कर सपरिवादी श्री शंकरलाल व कानि. श्री महेषचन्द्र न. 394 को सपरिवादी श्री शंकरलाल की निजी मोटर साईकिल से एवं परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को कानि. श्री महेषचन्द्र की निजी मोटरसाईकिल से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना किया गया। तत्पष्चात समय करीब 12.40 पी.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा कानि. श्री महेषचन्द्र नं0 394 उपस्थित चैकी हो कानि. ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा मै मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस पास पंहुच कर समय करीब 11.38 ए. एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा से प्राप्त कर चालू कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपुर्द कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया तथा मै राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 12.17 पीएम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा मेरे पास आकर मुझे

डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात हम मोटर साईकिलो से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा ने कानि के कथनो की ताहिद की जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र शैलेष तथा संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा पेश रिपोर्ट में बताये गए कथनो की ताईद होकर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर द्वारा सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा से रिश्वत राशि 50000 हजार रूपये की मांग कर 45,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमती की पुष्टि हुई।
तत्पश्चात सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 02.47 पी.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल ल आ रहा है। जिस पर सपरिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर आँन करा सपरिवादी की संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मेनेजर से वार्ता करवाई गई सपरिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर आँन करा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रीम ट्रैप कार्यवाही के क्रम में सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा से संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मेनेजर को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे मे पूछने पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने बताया की मै पैसो की व्यवस्था कर साथ मे लेकर आया हुं। जिस पर अग्रीम ट्रैप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 09.10.2025 से तेहरीर जारी कर श्री दीपक कानि. 87 को कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा डूंगरपुर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 03.50 पी. एम पर कानि. श्री दीपक न. 87 दो स्वतंत्र गवाह को साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना जितेन्द्र खराडी पिता कालुराम जी खराडी उम्र 35 वर्ष निवासी आरा फला बिछीवाडा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल व्याख्याता पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय थाणा जिला डूंगरपुर तथा श्री अनिल कुमार पिता ब्रजलाल जैन उम्र 50 वर्ष निवासी देवल पुलिस थाना सदर डूंगरपुर जिला डूंगरपुर हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय सिदडी खैरवाडा ब्लॉक डूंगरपुर जिला डूंगरपुर होना बताया। जिस पर उन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 04.10 पी.एम पर कार्यालय मे बैठे स्वतन्त्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक के कक्ष मे बुलाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली अग्रिम ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 07.10.2025 को परिवादी श्री कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा ने शब्द ब शब्द की पुष्टि की। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 09.10.2025 को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा एवं संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। समय करीब 04.30 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 90 नोट कुल राशि 45000 रूपये प्रस्तुत किये। सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र खराडी से लिवाई गई। जिसमें सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपुर्द किया गया। सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री दीपक कानि. नं. 87 से पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशीयो को निकलवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर देने के लिए सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा द्वारा पेश किये गये नोटो को श्री दीपक कानि. से ही सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री बाबुलाल कानि. 393 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादीगण को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में

श्री दीपक कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादीगण तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए मन् पुलिस निरीक्षक ने बताया कि यदि आरोपी परिवादीगण से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री दीपक कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री दीपक कानि. से ही पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री बाबु लाल कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशिया, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादीगण का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादीगण व संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादीगण को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री दीपक कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। परिवादीगण को डिजीटल वोईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुन समझाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपूर्द कर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिष्वत राषि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवष्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 04.55 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर पुलिस उप अधीक्षक साहब के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पष्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध के आवास की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया । समय करीब 05 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द कानि. 394 व सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के तथा परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की ओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री धिरेन्द्र सिंह कानि. न. 546 एवं श्री बाबु लाल कानि. न. 393 को निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक सर, स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, श्री करण सिंह एएसआई, मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना हुए। तत्पष्चात समय करीब 05.20 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। समय करीब 05.21 पी.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने अपने पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकाल कर कानि श्री महेशचन्द्र को पेश किया जिस पर कानि. द्वारा संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि लेन देन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवष्यक हिदायत देकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को शुरू कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपुर्द कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी

उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादीगण के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास मुकिम हुये। समय करीब 05.28 पी.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा बिना कोई ईशारा किये हमारे पास आये व डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को लाकर मुझे पेश किया जिसे मेरे द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पष्चात सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने बताया की बैंक बन्द हो गई है। जिस पर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की लोकेषन जानने के लिए मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा के मोबाईल नं [redacted] को लाउड स्पीकर पर रखते हुए संदिग्ध संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नं [redacted] पर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने बताया की "अब तो मैं निकल गया हुं, सोमवार को आना।" उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड लिया गया। समय के अभाव में फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अकब से मुर्तिब किया जायेगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना हुये। समय करीब 06.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली से रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुचे। तत्पश्चात् सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखी रिश्वत राशि जो फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए को स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी व श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष श्री दीपक कानि. से निकलवाई जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवा कर मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाये गये। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को गोपनीयता की हिदायत दी गई तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा, परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के साथ दिनांक 10.10.2025 को 10.00 एम पर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देष देकर रूकसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को यथा स्थिती पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 10.10.2025 को समय करीब 10.00 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 10.10 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी व श्री अनिल कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 10.15 ए.एम पर पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा के समक्ष डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 07.10.2025 को समय 03.26 पी.एम व 03.28 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] से हुई मोबाईल वार्ताओ जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी तथा दिनांक 07.10.2025 को समय 03.43 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली मे हुई रूबरू वार्ता जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट की व एक आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 11.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा के समक्ष मेरे पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 08.10.2025 को समय 11.16 ए.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] से हुई मोबाईल वार्ता जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी, दिनांक 08.10.2025 को समय 11.46 ए.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली मे हुई रूबरू वार्ता जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई व दिनांक 08.10.2025 को समय 12.24 पी.एम व 12.28 पी.एम तथा 12.33 पी.एम पर परिवादी श्री

कन्हैयालाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] से हुई मोबाईल वार्ताओ जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी व दिनांक 08.10.2025 को समय 12.44 पी.एम, समय 12.46 पी.एम, समय 02.10 पी.एम., समय 03.02 पी.एम व समय 03.03 पी.एम तथा 03.24 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] से हुई मोबाईल वार्ताओ जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी तथा दिनांक 08.10.2025 को समय 04.32 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली मे हुई रूबरू वार्ता जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटाटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट की व एक आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। दिनांक 08.10.2025 को समय करीब 05.41 पी.एम पर सेवन से डिजिटल टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाने से 56 सेकण्ड की रिकोडीग हो गई जिस का कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नही है। इसके पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 02.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा, परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा के साथ दिनांक 13.10.2025 को 10.00 एम पर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने व गोपनीयता रखने के निर्देश देकर रूकसत किया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीयता रखने के निर्देष देकर दिनांक 13.10.2025 को 10.00 एम पर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत देकर रूकसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को यथा स्थिती पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 13.10.2025 को समय करीब 09.15 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी व श्री अनिल कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 10.00 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा व सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 11.ए.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र खराडी से लिवाई गई। जिसमें सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात मालखाने मे दिनांक 09.10.2025 को फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई रिष्वत राषि 45000 हजार रूपये जो एक कागज के लिफाफे में रखवाई गई थी को स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी व श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष श्री दीपक कानि. 87 से मालखाने से निकलवाई जाकर कागज के लिफाफे से बाहर निकलवाई जाकर कानि. श्री दीपक से सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। उक्त लिफाफे को श्री दीपक कानि. से कार्यालय के बाहर जलाकर नष्ट किया गया। परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादीगण व संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादीगण को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री दीपक कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर परिवादीगण को डिजीटल वोईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुन समझाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपूर्द कर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत दी गई।

तत्पश्चात समय करीब 11.20 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर पुलिस

उप अधीक्षक साहब के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पश्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देषित किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध के आवास की खाना तलाषी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समय 11.25 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द्र कानि. 394 व सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के तथा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की ओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री वीर विक्रम सिंह कानि. न. 189 एवं श्री बाबु लाल कानि. न. 393 को निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, श्री करण सिंह एएसआई, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि न. 546 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना हुए। सयम करीब 11.37 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। समय करीब 11.38 ए.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने अपने पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकाल कर कानि श्री महेशचन्द्र को पेश किया जिस पर कानि. द्वारा संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि लेन देन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को शुरू कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपुर्द कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादीगण के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास मुकिम हुये। समय करीब 11.53 ए.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा बिना कोई ईशारा किये हमारे पास आये व डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को लाकर मुझे पेश किया जिसे मेरे द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने बताया की मे बैंक मे गया वहा श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर मिले जिन्होने मुझे कहा की सदर थाना चैराहा पंहुचो वहा आदमी आ कर तुमको फोन कर देगा उनको दे देना जिस पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] उनको नोट करवाये। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड मेरे द्वारा किया गया है। जिस पर विस्तृत हालात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस उप अधीक्षक सर को निवेदन किये गये तो उनके द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि आप मय टीम के पुलिस थाना सदर चैराया डूंगरपुर पंहुच कर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही करावे तथा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा को निगरानी हेतु वही छोडे व मै व दीपक कानि. मेताली के लिए रवाना हो रहे है।

तत्पश्चात समय 12.05 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द कानि. 394 व सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के तथा परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से पुलिस थाना सदर चोराया डूंगरपुर की ओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री वीर विक्रम सिंह कानि. न. 189 एवं श्री बाबु लाल कानि. न. 393 को निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, श्री करण सिंह एएसआई, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि न. 546 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से मेताली से पुलिस थाना सदर चैराहा डूंगरपुर की तरफ रवाना हुए। रास्ते मे सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने समय करीब 12.11 पी.एम पर कानि. श्री महेशचन्द्र को बताया की बैंक मैनेजर के एजेन्ट का कॉल मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर एजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल आ रहा है। जिस पर वाहनो को साईट मे खडा कर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा वार्ता करवाई गई तथा परिवादी के पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पष्चात वहा से मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से रवानाषुदा समय 12.20 पी.एम पर पुलिस थाना सदर चैराहा डूंगरपुर के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया जहा सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने अपने पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को निकाल कर कानि श्री महेशचन्द्र कानि को दिया जिस पर कानि. द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को

सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपूर्द कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट से रिश्वत राशि लेन देन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को शुरू कर पुलिस थाना सदर चोराहा डूंगरपुर के लिए रवाना किया व मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादीगण के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में पुलिस थाना सदर चोराहा डूंगरपुर के आस-पास मुकिम हुये। तत्पश्चात समय करीब 12.38 पी.एम. पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात पुलिस थाना सदर चोराहा डूंगरपुर के रोड के साईट मे खडे होकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक व हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से रवाना हो सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा के पास पहुंचे तो सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे सपरिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की, उस डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे मेरे द्वारा बंद कर मेरे पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने अपने पास स्कुटी कर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट हैं जिन्होने 45000/-रूपये मेरे से ग्रहण कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायी जेब मे रखे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वंय का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री भुपेन्द्र कुमार परमार पुत्र श्री कारी लाल परमार उम्र 25 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम पोस्ट पगारा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर हाल बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर का होना बताया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा की ओर ईशारा करते हुए आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार से पूछा कि आप इसको जानते हो, इसका नाम क्या है, तो आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने कॉल कर आज ही मुझे इनके मोबाईल नम्बर [redacted] दिये थे और कहा था की इस मोबाईल नम्बर पर बात करके इनसे 45000 रूपये ले लेना जिस पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से इनको कॉल कर सदर थाना के पास चोराहा डूंगरपुर पर बुलाया था। मैने मैनेजर साहब श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के कहे अनुसार इनसे 45000 हजार रूपये लिये है। पुलिस थाना सदर चैराहा डूंगरपुर पर आम लोगो की आवाजाई ज्यादा होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेशचंद्र कानि. को आरोपी का बाया हाथ एवं श्री करण सिह एएसआई को आरोपी का दाहिना हाथ कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर उसी अवस्था में मौके से डिटेन कर समय 12.40 पी.एम पर पुलिस थाना सदर डूंगरपुर के एक कक्ष मे ले गये। जहा मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार से पूछा ये पैसे तुमने किस के लिए लिये है जिस पर उसने कहा की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के लिए लिये है। जिस पर आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल न. [redacted] से आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 12.43 पी.एम पर कॉल करवाया लेकिन आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने काल नही उठाया। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। तत्पश्चात आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने कहा की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब मेरा कॉल नही उठायेगे वाटसअप काल ही उठायेगे। जिस पर आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल के वाटसअप नम्बर [redacted] से आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल के वाटसअप नम्बर [redacted] पर समय 12.47 पी.एम पर काल करवाया तो आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से कहा सर, तो आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने कहा हा, तो आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से कहा पैसा आ गया है, तो आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने कहा ठीक है, आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने आरोपी से कहा पिसतालीस दिया है सर। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा विस्तृत हालात पुलिस उप अधीक्षक सर को जरिये दुरभाष निवेदन किये गये तथा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर को डिटेन कर ब्यूरो कार्यालय मे लाने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में रिश्वत राशि बरामद किया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी से आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की पहनी हुई पेन्ट बरंग कत्थई की आगे की बायी जेब की तलाषी लिवाई गई तो उक्त जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट बरामद हुए, जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 90 नोट राशि 45000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर समान पाये गये उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 90 नोट राशि 45000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवष्यक हिदायत देकर सम्भलाई गई। इसके अलावा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के पास एक मोबाईल वीवो कम्पनी का हो जिसमे एक एयरटेल कम्पनी की सिम जिसके नम्बर [redacted] एक जीओ कम्पनी की सिम जिसके नम्बर [redacted] उक्त मोबाईल को स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी को सम्भलाया गया।

तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के दोनों हाथों का धोवन एवं पहनी हुई पेन्ट बरंग कत्थई की आगे की बायी जेब का धोवन लिया जाना आवष्यक होने से कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से प्राईवेट वाहन में रखे हुए ट्रेप बाक्स को मंगवा कर ट्रैप बाक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में पीने के पानी की बोतल मे से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादीगण को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शीशियो को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH1 o RH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH1 o LH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान, व ट्रैप पार्टी के सदस्य मय ट्रैप बाक्स, सीलचिट शिशिया, प्रिन्टर, लेपटाप, सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार को यथास्थिति साथ लेकर पुलिस थाना सदर डूंगरपुर से जरिये प्राईवेट वाहनों से समय 01.06 पी.एम पर रवाना होकर समय 01.20 पी.एम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पंहुचे। इसके पश्चात आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की पहनी हुई पेन्ट बरंग कत्थई की आगे की बायी जेब जहां से रिश्वत राशि 45000 रूपये बरामद की गयी, उक्त जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के लिए नया लोवर मंगवा कर आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की पहनी हुई उक्त पेन्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर दुसरा लोवर पहनाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से ट्रेप बाक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवा कर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त पेन्ट की आगे की बायी जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब के धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजिरान को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P1 o P2 अंकित कर उक्त सिलचिट षुदा षिषियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पष्चात् उक्त पहनी हुई पेन्ट बरंग कत्थई की आगे की बायी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेन्ट बरंग कत्थई को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 90 नोट राशि 45000 रूपये जो आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायीं जेब से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए हैं जो स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी के पास में सुरक्षित रखवाये गये थे जो श्री जितेन्द्र खराडी द्वारा पेश किये जाने पर उक्त रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 90 नोट राशि 45000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। कार्यवाही मे प्रयुक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को स्वतन्त्र गवाहान की मौजुदगी में जलाकर नष्ट किये गये। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर समय करीब 02.00 पी.एम पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 02.10 पी.एम पुलिस उप अधीक्षक सर मय आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर व कानि. श्री दीपक तथा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा मय सरकारी वाहन के हाजिर कार्यालय आये। तत्पश्चात समय करीब 02.15 पी.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान, के समक्ष आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर व आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार से रिश्वत राशि लेने के सम्बधं मे पूछताछ की गई तो दलाल बैंक मित्र भुपेन्द्र कुमार आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के कहने पर सपरिवादी शंकरलाल कटारा से रिश्वत राशि 45000 रूपये लेना बताया, आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने बताया की कन्हैयालाल कटारा का बैंक मे खाता खुला हुआ है व अन्य परिवादीगण शंकरलाल व उसकी माता श्रीमति राजु का खाता खुला हुआ नही है आरोपी बैंक मित्र श्री भुपेन्द्र कुमार को भी पहचानना भी बताया। आरोपी भुपेन्द्र कुमार गत सात वर्ष से राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर के बाहर बीसी का कार्य करना

एवं बैंक मैनेजर श्री अभिमन्यु कुमार सिंह से पहचान इसी वजह से होना बताया। तत्पश्चात समय करीब 02.45 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के समक्ष मेरे पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 09.10.2025 को समय 11.38 ए.एम पर सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा व आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली मे हुई रूबरू मांग सत्यापन वार्ता जिसे सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। दिनांक 09.10.2025 को समय 02.47 पी.एम, समय 02.48 पी.एम व 05.21 पी.एम तथा 05.28 पी.एम पर सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] से हुई मोबाईल वार्ताओ जिसे सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ताओ में सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। तथा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया।

तत्पश्चात समय करीब 04.50 पी.एम पर आरोपीगण के मकान की खाना तलाशि लिया जाना आवष्यक होने से खाना तलाशी के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान मुख्य अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डूंगरपुर जिला डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर भिजवाने बाबत् कार्यालय पत्र क्रमांक 1433 दिनांक 13.10.2025 जारी तहरीर जारी कर जरिये दुरभाष निवेदन किया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.00 पी.एम पर पाबन्दषुदा दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री भव्य ननोमा पिता श्री भुवनेश ननोमा जाति भील, उम्र 26 वर्ष निवासी फलोज पुलिस थाना दोवडा जिला डंगरपुर हाल सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड डूंगरपुर ग्रामीण व श्री नितेश कुमार डामोर पिता श्री गांगजी डामोर जाति भील उम्र 32 वर्ष निवासी गडा अरण्डिया तहसील साबला जिला डूंगरपुर हाल वरिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड डूंगरपुर शहर होना बताया। जिस पर उन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.05 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी से वीडियोग्राफी करने तथा वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) में रिकार्ड करने हेतु सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देशित किया गया था। जिस पर श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पष्चात इस समय सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के किराये के मकान हाउसिंग बोर्ड डूंगरपुर व आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के किराये के मकान बलाजी नगर डूंगरपुर में होना बताया जाने पर श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 के पास रखे एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) जो पूर्व में श्री बाबु लाल कानि0 को सुपुर्द किया गया था जिसे सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर, मय दोनों गवाहान श्री भव्य ननोमा व श्री नितेश कुमार डामोर, श्री करण सिंह एएसआई एवं श्री बाबु लाल कानि. तथा डिटेनशुदा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपट्रोप मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के किराये के मकान हाउसिंग बोर्ड डूंगरपुर की खाना तलाशी हेतु रवाना किया गया। तत्पष्चात समय करीब 06.05 पी.एम पर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर, मय दोनों गवाहान श्री भव्य ननोमा व श्री नितेश कुमार डामोर, श्री करण सिंह एएसआई एवं श्री बाबु लाल कानि. तथा के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपट्रोप मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के किराये के मकान हाउसिंग बोर्ड डूंगरपुर की खाना तलाशी हेतु रवानाशुदा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के किराये के मकान हाउसिंग बोर्ड डूंगरपुर पंहुच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर प्राईवेट वाहन से रवाना ब्यूरो कार्यालय हाजिर आये। श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर ने उक्त फर्द खाना तलाषी मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली

की गई। तत्पश्चात समय करीब 06.15 पी.एम पर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर, मय दोनों गवाहान श्री भव्य ननोमा व श्री नितेश कुमार डामोर, श्री करण सिंह एएसआई एवं श्री बाबु लाल कानि., श्री दीपक कानि तथा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपट्रोप मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के किराये के मकान बलाजी नगर डूंगरपुर की खाना तलाशी हेतु रवानाशुदा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के किराये के मकान बलाजी नगर पंहुच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर प्राईवेट वाहन से रवाना हो समय 08.55 पी. एम पर ब्यूरो कार्यालय हाजिर आये। श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर ने उक्त फर्द खाना तलाशी मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा आरोपीगण के किराये के मकानो की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पष्चात सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 8GB Micro SDHC) निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री भव्य ननोमा व श्री नितेश कुमार डामोर को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय करीब 09.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर तथा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के समक्ष मेरे पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा दिनांक 13.10.2025 को समय 11.38 ए.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली मे हुई रूबरू मांग सत्यापन वार्ता जिसे सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई। दिनांक 13.10.2025 को समय 12.11 पी.एम पर सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से हुई मोबाईल वार्ता जिसे सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी। दिनांक 13.10.2025 को समय 12.22 पी.एम पर सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा व आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मध्य सदर थाना चोराहा डूंगरपुर पर हुई रूबरू रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जिसे सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई। दिनांक 13.10.2025 को समय 12.48 पी.एम पर आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल नम्बर [redacted] व आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाटसअप से हुई वार्ता जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप से कनेक्ट करवाकर अवलोकन किया गया तो पाया की दिनांक 13.10.2025 को रिकोर्डशुदा वार्तये डिजिटल टेप रिकार्डर के मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड होने की जगह डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकोर्ड हो गई है उक्त वार्ताओ को पृथक से मूल मेमोरी कार्ड मे सेव किया जायेगा। उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेश चन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने एक आवाज अपनी स्वयं की, एक आवाज परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा व एक आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की तथा एक आवाज आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसी प्रकार आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं एक आवाज सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की, एक आवाज परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा व एक आवाज दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की होने होने की पुष्टि की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसी प्रकार आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं एक आवाज सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की तथा एक आवाज आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की होने होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 11.30 पी.एम पर संदिग्ध श्री मनोहर परमार पिता श्री हरिश परमार जाति भील उम्र 23 वर्ष पेशा पढाई निवासी मु.पो. पगारा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर से मोबाईल नम्बर [redacted] के सम्बधं मे विस्तृत पूछताछ कर पूछताछ नोट बनाया जाकर शामिल पत्रावली की गई। तथा मो.न [redacted] के सम्बधं मे आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार से पूछा गया तो उसने बताया की उक्त नम्बर से दिनांक 06,7,8.10.2025 मेने श्री कन्हैयालाल से बात की थी। समय करीब 11.45 पी.एम पर जरिये दुरभाष पाबन्दशुदा श्री अशोक कुमार पिता भगवान सहाय जाति रेगर निवासी खाटुश्यामजी जिला सीकर हाल सहायक बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर हाजिर ब्यूरो कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर के समक्ष दौराने ट्रैप कार्यवाही दिनांक 07.10.2025 को परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व आरोपी श्री अभिमन्यु

कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक मेताली डूंगरपुर मध्य रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 08.10.2025 को परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा एवं आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के बीच हुई मोबाईल व रूबरू वार्ता, दिनांक 09.10.2025 को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा एवं आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के बीच हुई रूबरू मांग सत्यापन व मोबाईल वार्ता, दिनांक 13.10.2025 को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा एवं आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के मध्य हुई रूबरू व मोबाईल वार्ता व दिनांक 13.10.2025 को आरोपी दलाल भुपेन्द्र कुमार परमार द्वारा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के बीच वाट्सअप कॉल वार्ता जो ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट कर सेव वार्ताओं को चलाकर श्री अशोक कुमार पिता भगवान सहाय जाति रेगर निवासी खाटुश्यामजी जिला सीकर हाल सहायक बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर को सुनाई गई तो उक्त दर्ज वार्ताओ में श्री अशोक कुमार ने एक आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर की होने की पुष्टि की व बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर के अधीनस्थ पदस्थापित होने से उनके द्वारा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह की आवाज पहचानता हुं तथा अन्य आवाज की पहचान नही की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सम्बधीतो के हस्ताक्षर कराये जाकर सामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात श्री अशोक कुमार हाल सहायक बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर द्वारा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के पत्र क्रमांक 186 दिनांक 13.10.2025 द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा, सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व श्रीमती राजु कटारा पत्नि रतना कटारा निवासी माथुगामडा खास रेलडा फला उक्त तीनों की लोन से सम्बधीत स्वयं द्वारा प्रमाणितशुदा रिकोर्ड उपलब्ध कराई गई जिसका अवलोकन किया गया तो राजस्थान ग्रामीण बैंक अटेस्टेशन मेमो श्री कन्हैयालाल पिता रतना कटारा निवासी माथुगामडा खास रेलडा फला के आवेदन पत्र क्रमांक [redacted] ऋण खाता संख्या [redacted] होकर वितरण दिनांक 06.10.2025 को पशुपालन/मत्स्य पालन किसान क्रेडिट कार्ड मे प्रथम वर्ष 2,34,000 रूपये स्वीकृत किये जिस पर श्री अशोक कुमार EC NO.22130 लिखा होकर हस्ताक्षर किये हुये है। शाखा प्रबन्धक अभिमन्यु कुमार सिंह EC NO 20710 लिखा हुआ हो आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर नही किये गये जिसकी किता 56 तथा राजस्थान ग्रामीण बैंक अटेस्टेशन मेमो श्री कन्हैयालाल पिता रतना कटारा निवासी माथुगामडा खास रेलडा फला के आवेदन पत्र क्रमांक [redacted] ऋण खाता संख्या [redacted] होकर दिनांक 16.09.2025 को किसान क्रेडिट कार्ड मे प्रथम वर्ष 1,75,000 रूपये स्वीकृत किये वितरण दिनांक 06.10.2025 अंकित हो जिस पर श्री अशोक कुमार EC NO .22130 लिखा होकर हस्ताक्षर किये हुये है। शाखा प्रबन्धक अभिमन्यु कुमार सिंह EC NO 20710 लिखा हुआ हो आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर नही किये गये जिसकी किता 44 व राजस्थान ग्रामीण बैंक अटेस्टेशन मेमो श्री शंकरलाल पिता रतना कटारा निवासी माथुगामडा खास रेलडा फला के आवेदन पत्र क्रमांक [redacted] ऋण खाता खुलवाने का ओनलाइन प्रक्रिया पूर्ण की गई है। श्री अशोक कुमार के EC NO.22130 लिखा हुआ है। शाखा प्रबन्धक अभिमन्यु कुमार सिंह लिखा EC NO 20710 कोई हस्ताक्षर नही किये हुये है जिसकी किता 75 तथा इसी प्रकार राजस्थान ग्रामीण बैंक अटेस्टेशन मेमो श्रीमति राजु कटारा पत्नि रतना कटारा निवासी माथुगामडा खास रेलडा फला के आवेदन पत्र क्रमांक 20250915131606 ऋण खाता खुलवाने का ओनलाइन प्रक्रिया पूर्ण की गई है। श्री अशोक कुमार के म्ब् छव्.22130 लिखा हुआ है। शाखा प्रबन्धक अभिमन्यु कुमार सिंह लिखा EC NO 20710 कोई हस्ताक्षर नही किये हुये है जिसकी किता 73 उक्त रिकोर्ड पर स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 14.10.2025 को समय करीब 12.05 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराड़ी, श्री अनिल कुमार जैन, आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर तथा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार तथा श्री मनोहर परमार के समक्ष आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से वाटसअप कॉल पर दिनांक 13.10.2025 की कि गई वार्ताओ की हिस्ट्री का स्कीनशॉट लिया जाकर श्री बाबु लाल कानि से कार्यालय के कम्प्युटर से प्रिन्ट निकलवाई गई। आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल नम्बर से [redacted] व [redacted] का अवलोकन किया गया तो सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दिनांक 13.10.2025 को वार्तायें होना पाया गया। उक्त वार्ताओ की हिस्ट्री का स्कीनशॉट लिया जाकर श्री बाबु लाल कानि से कार्यालय के कम्प्युटर से प्रिन्ट निकलवाई गई तथा श्री मनोहर परमार के मोबाईल नम्बर [redacted] का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के मोबाईल नम्बर Dnrp Kanya Mathugamda के नाम से सेव होकर दिनांक 06.10.2025, दिनांक 07.10.2025 तथा दिनांक 08.10.2025 को वार्तायें होना पाया गया। उक्त वार्ताओ की हिस्ट्री का स्कीनशॉट व मोबाईल नम्बर की ओनर का विवरण का स्कीनशॉट लिया जाकर श्री बाबु लाल कानि से कार्यालय के कम्प्युटर से प्रिन्ट निकलवाई जाकर। सम्बधीतो के हस्ताक्षर करवा कर सामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.15 ए.एम आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 ¼B½¼ii½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों की

पालना कर जरिये फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री कारी लाल परमार पिता श्री कानजी प्रमार जाति भील उम्र 60 वर्ष सेवानिवृत निवासी मु.पो. पगारा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर को नियमानुसार दी गई। तत्पश्चात समय करीब 12.30 ए.एम आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 (¼B½¼ii½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना के साले श्री अभिषेक कुमार सिंह पिता श्री नागेश्वर कुमार सिंह जो इस समय ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित है को नियमानुसार दी गई। तत्पश्चात समय करीब 12.45 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, व आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के समक्ष आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से आरोपी के मोबाईल रीयल मी 10 प्रो5 जी जिसमे दो सिम एक एरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] व दुसरी सिम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] व दुसरा मोबाइल रेडमी नोट 7 प्ररो जिसमे दो सीमे हो एक एरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] व दुसरी सीम बीएसएनल कम्पनी की जिसके नम्बर आरोपी को ज्ञात नहीं होना बताया उक्त मोबाईल को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। जिसका मार्क R-1 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 01.00 ए.एम मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, व आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के समक्ष आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से आरोपी के मोबाईल वीवो कम्पनी मॉडल वाय 27 मय दो सिम एक एयरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] व दुसरी सिम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] उक्त मोबाईलो को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। फर्द मूर्तिब की जाकर हाजरीन को पढकर सुनाई। पढ सुन समझ सही होना मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मार्क R-2 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 01.15 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, व श्री मनोहर परमार के समक्ष श्री मनोहर परमार के मोबाईल की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से श्री मनोहर परमार के मोबाईल वन प्लस कम्पनी मॉडल 10आर मय दो सिम एक एयरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] व दुसरी सिम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] उक्त मोबाईलो को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। फर्द मूर्तिब की जाकर हाजरीन को पढकर सुनाई। पढ सुन समझ सही होना मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मार्क R-3 उपरोक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 01.30 ए.एम आरोपीगण श्री अभिमन्यु कुमार सिंह तथा श्री भुपेन्द्र कुमार परमार को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु कार्यालय पत्रांक एसपीएल-01, 02, 03, 04 दिनाक़ 14-10-2025 दिये गये। आरोपी ने उक्त पत्रों पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हू एवं मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत करूंगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय करीब 03.05 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार का किराये का कमरा (मकान मालिक श्री देवेश पिता लक्ष्मीलाल मोदी निवासी 5/181 हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 05 डूंगरपुर) की खानातलाशी के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट करा विडियोग्राफीकाएक डब पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 8GB की तैयार की गयी। पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर एक खाकी लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.10 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार का किराये का कमरा (मकान मालिक श्री देवेश पिता लक्ष्मीलाल मोदी निवासी 5/181 हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 05 डूंगरपुर) की खानातलाषी के दौरान श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-2 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.15 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के

समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह का किराये का मकान (मकान मालिक मकान मालिक श्री राजे लबाना) बालाजी नगर डूंगरपुर की खानातलाषी के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट करा विडियोग्राफी का एक डब पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 8GB की तैयार की गयी। पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक खाकी लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.25 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह का किराये का मकान (मकान मालिक मकान मालिक श्री राजेश लबाना) बालाजी नगर डूंगरपुर की खानातलाशी के दौरान श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-3 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में दलाल श्री भुपेन्द कुमार परमार रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्युटर सेकनेक्ट करा विडियोग्राफी की तीनपेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 8GB की तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव लिखा जाकर सीलचिट कर मार्क PVH दिया गया। तथा दुसरीडब पेनड्राईव, तीसरीआरोपी पेनड्राईव को अनशील्ड रखा जाकर खाकी लिफाफो में सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.35 ए.एम मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में दलाल श्री भुपेन्द कुमार परमार से रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई का श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-1 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.40 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर मे अलग-अलग समय पर परिवादी की आरोपी, दलाल मोबाईल वार्ता, रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता एवं वाट्सएप मोबाईल पर हुई समस्त वार्ता क्रमष दिनांक 07.10.2025 को समय 2.26 पीएम, 3.28 पीएम, समय 3.43 पी.एम. पर व दिनांक 08.10.2025 को समय 11.16 ए.एम., 12.24 पीएम, 12.28 पीएम, 12.33 पीएम समय 12.44 पी.एम. समय 12.46 पी.एम., समय 02.10 पी.एम., समय 03.02 पीएम समय 03.03 पी.एम., समय 03.24 पी.एम. व समय 04.32 पी.एम., दिनांक 09.10.2025 को समय 11.38 ए.एम, समय 2.47 पीएम, समय 2.48 पी.एम., 5.21 पीएम व समय 5.28 पी.एम. व दिनांक 13.10.2025 को अलग-अलग समय पर मोबाईल वार्ता, वाट्सएप मोबाईल वार्ता एवं रूबरू हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता क्रमष समय 11.38 ए.एम., समय 12.22 पीएम एवं समय 12.48 पी.एम. पर वार्ताऐं जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी कम्प्युटरमें कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव तथा तीसरी पेनड्राईव पर आरोपी लिखा गया। मूल पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क PD अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। डब पेनड्राईव व आरोपी पेनड्राईव को

अन्तषील्ड रखा जाकर खाकी लिफाफो में सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.45 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर मे अलग-अलग समय पर परिवादी की आरोपी, दलाल मोबाईल वार्ता, रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता एवं वाट्सएप मोबाईल पर हुई समस्त वार्ता क्रमष दिनांक 07.10.2025 को समय 2.26 पीएम, 3.28 पीएम, समय 3.43 पी. एम. पर व दिनांक 08.10.2025 को समय 11.16 ए.एम., 12.24 पीएम, 12.28 पीएम, 12.33 पीएम समय 12.44 पी. एम. समय 12.46 पी.एम., समय 02.10 पी.एम., समय 03.02 पीएम समय 03.03 पी.एम., समय 03.24 पी.एम. व समय 04.32 पी.एम., दिनांक 09.10.2025 को समय 11.38 ए.एम, समय 2.47 पीएम, समय 2.48 पी.एम., 5.21 पीएम व समय 5.28 पी.एम. व दिनांक 13.10.2025 को अलग-अलग समय पर मोबाईल वार्ता, वाट्सएप मोबाईल वार्ता एवं रूबरू हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता क्रमष समय 11.38 ए.एम., समय 12.22 पीएम एवं समय 12.48 पी.एम. पर वार्ताऐं जो ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकार्डर को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी कम्प्युटरसे कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मेमोरी कार्ड बरंग Sandisk Micro SD HC 8 GB मेमोरी कार्ड कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M अंकित किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 12.40 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय् सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, श्री करण सिंह एएसआई व श्री महेशचन्द्र कानि के मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन के घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु पुलिस थाना सदर चोराहा डूंगरपुर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय करीब 01.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय् सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, श्री करण सिंह एएसआई व श्री महेशचन्द्र कानि के मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन के घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु रवानाषुदा पुलिस थाना सदर चोराहा डूंगरपुर पंहुचकर नियमानुसार सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की निशा देही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर सरकारी वाहन से रवाना हो हाजिर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर आये। तत्पश्चात समय करीब 02.15 पी.एम पर श्री परमेश्वर गुप्ता पिता रामराये गुप्ता उम्र 59 वर्ष निवासी बुन्दी पुलिस थाना सदर बुन्दी हाल क्षेत्रीय प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक बांसवाडा हाजिर ब्यूरो कार्यालय आये। जिन्होने आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक बांसवाडा का स्वयं के हस्ताक्षर मय मोहर के प्रमाणितशुदा सेवा विवरण पेश किया जिसे बाद अवलोकन स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवा सामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय करीब 02.30 पी.एम पर पूर्व पाबन्धशुदा श्रीमती राजश्री सोंलकी पत्नि ललित सिंह परिहार निवासी 10, धुलकोट पायडा, पायडा रोड उदयपुर हाल बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा जिला डूंगरपुर हाजिर ब्यूरो कार्यालय आये स्वतन्त्र गवाहान व आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र राजस्थान ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा डूंगरपुर के समक्ष दौराने ट्रैप कार्यवाही दिनांक 13.10.2025 को सपरिवादी शंकरलाल व आरोपी का दलाल भुपेन्द्र कुमार परमार के मध्य मोबाईल वार्ता व रूबरू रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता व आरोपी का दलाल भुपेन्द्र कुमार परमार एवं श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के बीच वाट्सअप कॉल वार्ता जो ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर मे रिकार्डशुदा वार्ताओं को ब्यूरो के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सेव वार्ताओं को चलाकर श्रीमती राजश्री सोंलकी पत्नि ललित सिंह परिहार निवासी 10, धुलकोट पायडा, पायडा रोड उदयपुर हाल बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा जिला डूंगरपुर को सुनाई गई तो उक्त दर्ज वार्ताओ में श्रीमती राजश्री सोंलकी ने एक आवाज श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मुख्य शाखा डूंगरपुर की होने की पुष्टि की व बताया की श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र होने एवं मेरी बैंक मे आना-जाना होने से आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार बैंक मित्र की आवाज पहचानती हुं तथा अन्य आवाज की पहचान नही की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बधीतो के हस्ताक्षर करवाये गये। राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर के पत्र क्रमांक Dun/rgb/3 दिनांक 14.10.2025 से बैंक मित्र श्री भूपेन्द्र कुमार परमार का प्रमाणितशुदा सेवा विवरण रिकार्ड कुल किता 13 पेश किये जिसे बाद अवलोकन स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किया गया इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया हैं कि परिवादी श्री कन्हैयालाल पिता रतना कटारा निवासी रेलडा फला माथुगामडा जिला डूंगरपुर ने उपस्थित चोकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आश य कि पेश की "मुझ प्रार्थी कन्हैयालाल पिता रतना कटारा निवासी रेलडा फला माथुगामडा जिला डूंगरपुर का निवेदन है कि मेरे व मेरे भाई शंकरलाल व मेरी माँ राजु के नाम से राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा मेताली से हमने हमारी कृषी भुमी पर लोन के लिए अलग अलग आवेदन किया है जिसमे मे मेरे 4 लाख रूपए का लोन के लिए व मेरे भाई व मेरी माँ के नाम से भी उनहोने लोन के लिए आवेदन किया है हम तिनो के लिए कुल 11 लाख रूपये के लिए आवेदन

किया था जिसके हमारे लोन पास हो गया है मेरे 4 लाख लोन मे से कल दिनांक 06.10.25 को मै बैंक मे गया तब बैंक मेनेझर अभिमन्यु कुमार सिंह से मिला तो उन्होने मुझे 2 लाख रूपऐे लोन के दिये 2 लाख रूपऐ बाकी रखे व कहा कि तुम्हारे व तुम्हारे परिवार वालो के मेने जो 11 लाख रूपऐ का लोन पास किया है उसके लिए तुम मुझे पचास हजार रूपऐ दो जो 50 हजार रूपऐ मे बताता हु उसको दे देना फिर आज भी मे मेरे बाकी दो लाख रूपये लेने बैंक मे गया तो मेनेझर ने लोन पास करने के लिए मेरे से 50 हजार रूपऐ कि रिश्वत मान्गी है व कहा कि मेरा आदमी तुम्हारे से सम्पर्क करेगा उसको पैसे दे देना आज दिन मे मेरे मोबाईल न. [redacted] पर नम्बर [redacted] से मोबाईल कॉल आया और बोला कि मे मेनेझर का आदमी बोल रहा हु जो काम मेनेझर ने बोला है वो मेरे को कर दो। उसके बाद मे व मेरा बेटा शैलेष यहा पर आए है मेरी बैंक मेनेझर से कोई लेन देन बाकी नही है एवं नही उससे कोई पुरानी रणजीस है यह प्राथना पत्र मेरे बेटे ने लिखा है मे बैंक मेनझर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं कार्यवाही करावे"। परिवादी की रिपोर्ट एवं जरिये दरियाफ्त मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर नियमानुसार मांग सत्यापन कराया गया तो दौराने मांग सत्यापन आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा से 50,000/-रूपये अपने परिचित व्यक्ति के मार्फत रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ। जिस पर दिनांक 13.10.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के कहे अनुसार दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा से आरोपी की मांग अनुसार 45,000/-रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया हैं, जो जुर्म अन्तर्गत धारा- 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अत आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह पुत्र श्री अरूण सिंह जाति तोमर राजपुत उम्र 32 वर्ष निवासी कौडिया तहसील जगदीसपुर पुलिस थाना बीहीया जिला भोजपुर बिहार हाल अस्थाई निवास एच 224 नई पोलिस लाइन टाइप 01 किंग्सवाय कैंप डॉ मुखर्जी नगर, उत्तर पश्चिमी, मॉडल टाउन नई दिल्ली हाल प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर एवं श्री भुपेन्द्र कुमार परमार पुत्र कारीलाल परमार जाति भील उम्र 25 वर्ष निवासी गांव पगारा पुलिस थाना दोवडा हाल बैंक मित्र राजस्थान ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा डूंगरपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं।भवदीय,(राजेन्द्र सिंह)पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,डूंगरपुर महोदयजी,वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 07.10.2025 को समय 01.57 पी.एम पर श्रीमान रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र सिंह को जरीये मोबाईल कॉल कर निर्देश दिये की मै राजकार्य से बाहर हुं परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा का मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल आया तथा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने मुझे बताया की मुझसे बैंक मेनेजर साहब मेरे लोन पास करने की एवंज मे रिश्वत राशि मांग रहे है । जिस पर परिवादी व उसके पुत्र को ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित होने हेतु तथा मामले की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी के कार्यालय मे उपस्थित आने पर नियमानुसार कार्यवाही करावे। तत्पश्चात समय करीब 02.20 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा उपस्थित चोकी होकर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक को इस आशय की पेश की कि "मुझ प्रार्थी कन्हैयालाल पिता रतना कटारा निवासी रेलडा फला माथुगामडा जिला डूंगरपुर का निवेदन है कि मेरे व मेरे भाई शंकरलाल व मेरी माँ राजु के नाम से राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा मेताली से हमने हमारी कृषी भुमी पर लोन के लिए अलग अलग आवेदन किया है जिसमे मे मेरे 4 लाख रूपए का लोन के लिए व मेरे भाई व मेरी माँ के नाम से भी उन्होंने लोन के लिए आवेदन किया है हम तिनो के लिए कुल 11 लाख रूपये के लिए आवेदन किया था जिसके हमारे लोन पास हो गया है मेरे 4 लाख लोन मे से कल दिनांक 06.10.25 को मै बैंक मे गया तब बैंक मेनेझर अभिमन्यु कुमार सिंह से मिला तो उन्होने मुझे 2 लाख रूपऐे लोन के दिये 2 लाख रूपऐ बाकी रखे व कहा कि तुम्हारे व तुम्हारे परिवार वालो के मेने जो 11 लाख रूपऐ का लोन पास किया है उसके लिए तुम मुझे पचास हजार रूपऐ दो जो 50 हजार रूपऐ मे बताता हु उसको दे देना फिर आज भी मे मेरे बाकी दो लाख रूपये लेने बैंक मे गया तो मेनेझर ने लोन पास करने के लिए मेरे से 50 हजार रूपऐ कि रिश्वत मान्गी है व कहा कि मेरा आदमी तुम्हारे से सम्पर्क करेगा उसको पैसे दे देना आज दिन मे मेरे मोबाईल न. [redacted] पर नम्बर [redacted] से मोबाईल कॉल आया और बोला कि मे मेनेझर का आदमी बोल रहा हु जो काम मेनेझर ने बोला है वो मेरे को कर दो। उसके बाद मे व मेरा बेटा शैलेष यहा पर आए है मेरी बैंक मेनेझर से कोई लेन देन बाकी नही है एवं नही उससे कोई पुरानी रणजीस है यह प्राथना पत्र मेरे बेटे ने लिखा है मे बैंक मेनझर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं कार्यवाही करावे।" प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को पढकर सुनाया गया तो परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने शब्द-ब-शब्द सही होना व प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। माजिद पूछताछ पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने बताया कि बैंक मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह हम तीनो के लोन पास करने की एवज में 50000 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। जब तक हम रिश्वत राशि नही देंगे तब तक वो हमे हमारे लोन की पूरी राशि नही देगा। दरियाप्त पर मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन

कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को ब्यूरो की ट्रैप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय के कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा और कानि0 श्री महेषचन्द्र नं0 394 का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा व कानि0 के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकाल कर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी व उसके पुत्र को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत दी गई तथा कानि. श्री महेशचन्द्र नं0 394 व परिवादी श्री कन्हैयालाल मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के परिवादी की मोटर साईकिल से तथा परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को कानि. श्री महेशचन्द्र की मोटर साईकिल से समय 03.10 पी.एम पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना किया गया। हालात पुलिस उप अधीक्षक सर को जरिये मोबाईल अर्ज किये गये। समय करीब 04.30 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा कानि. श्री महेशचन्द्र नं0 394 उपस्थित चोकी हो कानि. ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा मै मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ जा रहे थे की रास्ते मे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने समय करीब 03.26 पी.एम पर बताया की बैंक मैनेजर के एजेन्ट का कॉल मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर ऐजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] आ रहा है। जिस पर मोटर साईकिल को साईट मे खडा कर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा वार्ता करवाई गई तथा परिवादी के पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 03.28 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर एजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल फिर आया जिस पर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा वार्ता करवाई गई तथा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात वहा से रवाना हो राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस पास पंहुच कर समय करीब 03.43 पी.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी से प्राप्त कर चालू कर परिवादी श्री कन्हैयालाल को सुपुर्द कर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया तथा मै राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 03.58 पीएम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा मेरे पास आकर परिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात हम मोटर साईकिलो से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा ने कानि के कथनो की ताहिद की जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा परिवादी श्री कन्हैयालाल बैंक मैनेजर के एजेन्ट की मोबाईल वार्ता व परिवादी तथा संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नही होने के कारण विस्तृत हालात पुलिस उप अधीक्षक सर को निवेदन किये गये तो उनके द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि एक बार पुन मांग सत्यापन करवाया जाना उचित रहेगा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखा गया। परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराया जाकर निर्देशित किया गया कि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नहीं होने से एक बार पुन संदिग्ध से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की जानी आवश्यक हैं। दिनांक 08.10.2025 को ब्यूरो कार्यालय में समय 10.30 एएम पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर समय करीब 06.00 पीएम पर रवाना किये गये। दिनांक 08.10.2025 को समय 10.45 पी.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे कार्यालय मे बिठाया गया। समय करीब 11.15 ए.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मेनेजर साहब के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल आ रहा है। जिस पर पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर

परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर आँन करा परिवादी की संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से वार्ता करवाई गई तथा उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 11.22 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल को संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुपुर्द कर परिवादी श्री कन्हैयालाल व कानि. श्री महेशचन्द्र न. 394 को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से एवं परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को कानि. श्री महेशचन्द्र की निजी मोटरसाईकिल से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना किया गया। समय करीब 01.00 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा कानि. श्री महेशचन्द्र नं0 394 उपस्थित चैकी हो कानि. ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा मै मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास पंहुच कर समय करीब 11.46 ए.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी से प्राप्त कर चालू कर परिवादी श्री कन्हैयालाल को सुपुर्द कर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया तथा मै राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 12.20 पीएम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा मेरे पास आकर परिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात हम मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुए रास्ते मे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने समय करीब 12.24 पी.एम पर मुझ कानि को बताया की बैंक मैनेजर के एजेन्ट का कॉल मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर एजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] से आ रहा है। जिस पर मोटर साईकिल को साईड मे खडा कर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर आँन करा वार्ता करवाई गई तथा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पष्चात समय करीब 12.28 पी.एम व 12.33 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर एजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल फिर आये जिसे भी परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर आँन करा वार्तायें करवाई गई तथा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ताओ को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.44 पी.एम व 12.46 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल आये जिसे भी परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर आँन करा वार्तायें करवाई गई तथा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ताओ को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा ने कानि के कथनो की ताहिद करते हुये बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब ने मुझे मेरे लोन के एक लाख रूपये दिये व एक लाख रूपये बाकी रखे है। तत्पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा परिवादी श्री कन्हैया लाल बैंक मैनेजर के एजेन्ट की मोबाईल वार्ता व परिवादी तथा संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन मोबाईल व रूबरू वार्ताओ को चलाकर सुना गया तो तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नही होने के कारण विस्तृत हालात पुलिस उप अधीक्षक सर को निवेदन किये गये तो उनके द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया की एक बार पुन मांग सत्यापन करवाया जाना उचित रहेगा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराया जाकर निर्देशित किया गया कि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नहीं होने से एक बार पुन संदिग्ध से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की जानी आवश्यक हैं। जिस पर परिवादी व परिवादी के पुत्र को कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 02.10 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल आ रहा है। जिस पर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर आँन करा परिवादी की संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से वार्ता करवाई गई। परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर आँन करा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 03.02 पी.एम व 03.03 पी.एम तथा 03.28 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल आये जिसे भी परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर आँन करा वार्तायें करवाई गई तथा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ताओ को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब बहुत ही चालाक व होशियार व्यक्ति है, जो बहुत धीरे-धीरे बोलता है। परिवादी के बताये अनुसार संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर द्वारा बार-बार परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के मोबाईल पर कॉल करना यह स्पष्ट

करता है की संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर परिवादी से रिश्वत राशि लेना चाहता है। लेकिन श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब बहुत ही चालाक व होशियार किस्म का व्यक्ति है। तत्पश्चात समय 04.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा को संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुपुर्द कर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व कानि. श्री महेशचन्द्र न. 394 को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से एवं परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को कानि. श्री महेशचन्द्र की निजी मोटरसाईकिल से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.10 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा कानि. श्री महेशचन्द्र नं0 394 उपस्थित चैकी हो कानि. ने वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा मै मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास पंहुच कर समय करीब 04.32 पी.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी से प्राप्त कर चालू कर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा को सुपुर्द कर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया तथा मै राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 04.52 पीएम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा मेरे पास आकर परिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात हम मोटर साईकिलो से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा ने कानि के कथनो की ताहिद की जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा परिवादी श्री कन्हैया लाल व संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नही होने के कारण विस्तृत हालात पुलिस उप अधीक्षक सर को निवेदन किये गये तो उनके द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि एक बार पुन मांग सत्यापन करवाया जाना उचित रहेगा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराया जिस परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब अब मुझसे रिश्वत राशि लेन-देन की बात नही करेंगे मेरी उनसे बहस हो गई है। श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब बहुत ही चालाक व होशियार व्यक्ति है, जो बहुत धीरे-धीरे बोलता है तथा रिश्वत राशि खुद नही लेकर दुसरे व्यक्ति को दिलवाता है। अब रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मेरे भाई शंकरलाल कटारा से कराया जाना उचित रहेगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखा गया। परिवादी के बताये अनुसार दिनांक 09.10.2025 को ब्यूरो कार्यालय में समय 11.00 एएम पर परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा व परिवादी के भाई श्री शंकरलाल कटारा को उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर समय करीब 06.00 पीएम पर रवाना किये गये। दिनांक 09.10.2025 को समय करीब 10.15 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा व परिवादी का भाई श्री शंकरलाल कटारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। परिवादी श्री कन्हैया लाल द्वारा पेश दिनांक 07.10.2025 के प्रार्थना पत्र को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को पढकर सुनाया गया तो सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने शब्द-ब-शब्द सही होना स्वीकार किया व प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये। माजिद पूछताछ पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने बताया कि मैने व मेरे भाई श्री कन्हैयालाल कटारा एवं मेरी माता श्रीमति राजु ने लोन हेतु आवेदन किया है। मेरे भाई श्री कन्हैयालाल कटारा ने मुझे बताया था की बैंक मैनेजर श्री अभिमन्यु कुमार सिंह लोन पास करने की एवज में 50,000 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। जब तक हम रिश्वत राशि नही देंगे तब तक वो हमे हमारे लोन की पूरी राशि नही देगा । सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को ब्यूरो की ट्रैप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय के कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष मे बुलाकर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 का आपस में परिचय कराया गया मन् पुलिस निरीक्षक ने अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर समय 11.10 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सपरिवादी को संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुपुर्द कर सपरिवादी श्री शंकरलाल व कानि. श्री महेषचन्द्र न. 394 को सपरिवादी श्री शंकरलाल की निजी मोटर साईकिल से एवं परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को कानि. श्री महेषचन्द्र की निजी मोटरसाईकिल से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना किया गया। तत्पष्चात समय करीब 12.40 पी.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा कानि. श्री महेषचन्द्र नं0 394 उपस्थित चैकी हो कानि. ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि

श्रीमान के निर्देशानुसार सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा मै मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस पास पंहुच कर समय करीब 11.38 ए. एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा से प्राप्त कर चालू कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपुर्द कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया तथा मै राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्चात समय करीब 12.17 पीएम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा मेरे पास आकर मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात हम मोटर साईकिलो से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा ने कानि के कथनो की ताहिद की जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र शैलेष तथा संद्विग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा पेश रिपोर्ट में बताये गए कथनो की ताईद होकर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर द्वारा सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा से रिश्वत राशि 50000 हजार रूपये की मांग कर 45,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमती की पुष्टि हुई। तत्पश्चात सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 02.47 पी.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब के मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल ल आ रहा है। जिस पर सपरिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर आँन करा सपरिवादी की संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मेनेजर से वार्ता करवाई गई सपरिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर आँन करा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रीम ट्रैप कार्यवाही के क्रम में सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा से संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मेनेजर को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे मे पूछने पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने बताया की मै पैसो की व्यवस्था कर साथ मे लेकर आया हुं। जिस पर अग्रीम ट्रैप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 09.10.2025 से तेहरीर जारी कर श्री दीपक कानि. 87 को कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा डूंगरपुर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 03.50 पी.एम पर कानि. श्री दीपक न. 87 दो स्वतंत्र गवाह को साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना जितेन्द्र खराडी पिता कालुराम जी खराडी उम्र 35 वर्ष निवासी आरा फला बिछीवाडा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल व्याख्याता पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय थाणा जिला डूंगरपुर तथा श्री अनिल कुमार पिता ब्रजलाल जैन उम्र 50 वर्ष निवासी देवल पुलिस थाना सदर डूंगरपुर जिला डूंगरपुर हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय सिदडी खैरवाडा ब्लॉक डूंगरपुर जिला डूंगरपुर होना बताया। जिस पर उन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 04.10 पी.एम पर कार्यालय मे बैठे स्वतन्त्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक के कक्ष मे बुलाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली अग्रिम ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 07.10.2025 को परिवादी श्री कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा ने शब्द ब शब्द की पुष्टि की। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 09.10.2025 को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा एवं संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। समय करीब 04.30 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 90 नोट कुल राशि 45000 रूपये प्रस्तुत किये। सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र खराडी से लिवाई गई। जिसमें सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपुर्द किया गया। सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री दीपक कानि. नं.

87 से पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशीयो को निकलवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर देने के लिए सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा द्वारा पेश किये गये नोटो को श्री दीपक कानि. से ही सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री बाबुलाल कानि. 393 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादीगण को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री दीपक कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादीगण तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए मन् पुलिस निरीक्षक ने बताया कि यदि आरोपी परिवादीगण से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री दीपक कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री दीपक कानि. से ही पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री बाबु लाल कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशिया, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादीगण का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादीगण व संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादीगण को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री दीपक कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। परिवादीगण को डिजीटल वोईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुन समझाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपूर्द कर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिष्वत राषि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवष्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 04.55 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर पुलिस उप अधीक्षक साहब के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पष्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध के आवास की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 05 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द कानि. 394 व सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के तथा परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की ओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री धिरेन्द्र सिंह कानि. न. 546 एवं श्री बाबु लाल कानि. न. 393 को निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक सर, स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, श्री करण सिंह एएसआई, मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना हुए। तत्पष्चात समय करीब 05.20 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-

अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। समय करीब 05.21 पी.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने अपने पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकाल कर कानि श्री महेशचन्द्र को पेश किया जिस पर कानि. द्वारा संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि लेन देन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवष्यक हिदायत देकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को शुरू कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपुर्द कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादीगण के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास मुकिम हुये। समय करीब 05.28 पी.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा बिना कोई ईशारा किये हमारे पास आये व डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को लाकर मुझे पेश किया जिसे मेरे द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पष्चात सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने बताया की बैंक बन्द हो गई है। जिस पर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की लोकेषन जानने के लिए मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा के मोबाईल नं [redacted] को लाउड स्पीकर पर रखते हुए संदिग्ध संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नं [redacted] पर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने बताया की "अब तो मैं निकल गया हुं, सोमवार को आना।" उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड लिया गया। समय के अभाव में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट अकब से मुर्तिब किया जायेगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना हुये। समय करीब 06.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली से रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुचे। तत्पश्चात् सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखी रिश्वत राशि जो फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए को स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी व श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष श्री दीपक कानि. से निकलवाई जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवा कर मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाये गये। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को गोपनीयता की हिदायत दी गई तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा, परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा को परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के साथ दिनांक 10.10.2025 को 10.00 एम पर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देष देकर रूकसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को यथा स्थिती पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 10.10.2025 को समय करीब 10.00 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 10.10 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी व श्री अनिल कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 10.15 ए.एम पर पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा के समक्ष डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 07.10.2025 को समय 03.26 पी.एम व 03.28 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] से हुई मोबाईल वार्ताओ जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी तथा दिनांक 07.10.2025 को समय 03.43 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली मे हुई रूबरू वार्ता जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट की व एक आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 11.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष

कटारा के समक्ष मेरे पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 08.10.2025 को समय 11.16 ए.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] से हुई मोबाईल वार्ता जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी, दिनांक 08.10.2025 को समय 11.46 ए.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली मे हुई रूबरू वार्ता जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई व दिनांक 08.10.2025 को समय 12.24 पी.एम व 12.28 पी.एम तथा 12.33 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] से हुई मोबाईल वार्ताओ जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी व दिनांक 08.10.2025 को समय 12.44 पी.एम, समय 12.46 पी.एम, समय 02.10 पी.एम., समय 03.02 पी.एम व समय 03.03 पी.एम तथा 03.24 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] से हुई मोबाईल वार्ताओ जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी तथा दिनांक 08.10.2025 को समय 04.32 पी.एम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली मे हुई रूबरू वार्ता जिसे परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटाटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट की व एक आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। दिनांक 08.10.2025 को समय करीब 05.41 पी.एम पर सेवन से डिजिटल टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाने से 56 सेकण्ड की रिकोडीग हो गई जिस का कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नही है। इसके पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 02.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा, परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा के साथ दिनांक 13.10.2025 को 10.00 एम पर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने व गोपनीयता रखने के निर्देश देकर रूकसत किया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीयता रखने के निर्देष देकर दिनांक 13.10.2025 को 10.00 एम पर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत देकर रूकसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड को यथा स्थिती पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 13.10.2025 को समय करीब 09.15 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी व श्री अनिल कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 10.00 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा व सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 11.ए.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र खराडी से लिवाई गई। जिसमें सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात मालखाने मे दिनांक 09.10.2025 को फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई रिष्वत राषि 45000 हजार रूपये जो एक कागज के लिफाफे में रखवाई गई थी को स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी व श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष श्री दीपक कानि. 87 से मालखाने से निकलवाई जाकर कागज के लिफाफे से बाहर निकलवाई जाकर कानि. श्री दीपक से सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। उक्त लिफाफे को श्री दीपक कानि. से कार्यालय के बाहर जलाकर नष्ट किया गया। परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादीगण को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादीगण व संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादीगण को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त

संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री दीपक कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। पुलिस उप अधीक्षक सर के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर परिवादीगण को डिजीटल वोईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुन समझाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपूर्द कर संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 11.20 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर पुलिस उप अधीक्षक साहब के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B), चार्जींग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पश्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देषित किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध के आवास की खाना तलाषी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया । तत्पश्चात समय 11.25 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द्र कानि. 394 व सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के तथा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की ओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री वीर विक्रम सिंह कानि. न. 189 एवं श्री बाबु लाल कानि. न. 393 को निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, श्री करण सिंह एएसआई, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि न. 546 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली की तरफ रवाना हुए। सयम करीब 11.37 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। समय करीब 11.38 ए.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने अपने पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकाल कर कानि श्री महेशचन्द्र को पेश किया जिस पर कानि. द्वारा संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से रिश्वत राशि लेन देन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को शुरू कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपुर्द कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के लिए रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादीगण के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के आस-पास मुकिम हुये। समय करीब 11.53 ए.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा बिना कोई ईशारा किये हमारे पास आये व डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को लाकर मुझे पेश किया जिसे मेरे द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने बताया की मे बैंक मे गया वहा श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर मिले जिन्होने मुझे कहा की सदर थाना चैराहा पंहुचो वहा आदमी आ कर तुमको फोन कर देगा उनको दे देना जिस पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] उनको नोट करवाये। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड मेरे द्वारा किया गया है। जिस पर विस्तृत हालात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस उप अधीक्षक सर को निवेदन किये गये तो उनके द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि आप मय टीम के पुलिस थाना सदर चैराया डूंगरपुर पंहुच कर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही करावे तथा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा को निगरानी हेतु वही छोडे व मै व दीपक कानि. मेताली के लिए रवाना हो रहे है। तत्पश्चात समय 12.05 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेशचन्द कानि. 394 व सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के तथा परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को उसकी निजी मोटर साईकिल से पुलिस थाना सदर चोराया डूंगरपुर की ओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री वीर विक्रम सिंह कानि. न. 189 एवं श्री बाबु लाल कानि. न. 393 को निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, श्री करण सिंह एएसआई, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि न. 546 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से मेताली से पुलिस थाना सदर चैराहा डूंगरपुर की तरफ रवाना हुए। रास्ते मे सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने समय करीब 12.11 पी.एम पर कानि. श्री महेशचन्द्र को बताया की बैंक मैनेजर के एजेन्ट का कॉल मेरे मोबाईल नम्बर

[redacted] पर एजेन्ट के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल आ रहा है। जिस पर वाहनो को साईट मे खडा कर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन करा वार्ता करवाई गई तथा परिवादी के पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर उक्त वार्ता को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात वहा से मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से रवानाषुदा समय 12.20 पी.एम पर पुलिस थाना सदर चैराहा डूंगरपुर के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया जहा सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने अपने पास से डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को निकाल कर कानि श्री महेशचन्द्र कानि को दिया जिस पर कानि. द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा को सुपूर्द कर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा को संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट से रिश्वत राशि लेन देन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को शुरू कर पुलिस थाना सदर चोराहा डूंगरपुर के लिए रवाना किया व मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादीगण के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में पुलिस थाना सदर चोराहा डूंगरपुर के आस-पास मुकिम हुये। तत्पश्चात समय करीब 12.38 पी.एम. पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने संदिग्ध श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात पुलिस थाना सदर चोराहा डूंगरपुर के रोड के साईट मे खडे होकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक व हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से रवाना हो सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा के पास पहुंचे तो सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे सपरिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की, उस डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे मेरे द्वारा बंद कर मेरे पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने अपने पास स्कुटी कर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के एजेन्ट हैं जिन्होने 45000/-रूपये मेरे से ग्रहण कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायी जेब मे रखे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वंय का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री भुपेन्द्र कुमार परमार पुत्र श्री कारी लाल परमार उम्र 25 वर्ष जाति भील निवासी मुकाम पोस्ट पगारा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर हाल बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर का होना बताया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा की ओर ईशारा करते हुए आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार से पूछा कि आप इसको जानते हो, इसका नाम क्या है, तो आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने कॉल कर आज ही मुझे इनके मोबाईल नम्बर [redacted] दिये थे और कहा था की इस मोबाईल नम्बर पर बात करके इनसे 45000 रूपये ले लेना जिस पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से इनको कॉल कर सदर थाना के पास चोराहा डूंगरपुर पर बुलाया था। मैने मैनेजर साहब श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के कहे अनुसार इनसे 45000 हजार रूपये लिये है। पुलिस थाना सदर चैराहा डूंगरपुर पर आम लोगो की आवाजाई ज्यादा होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेशचंद्र कानि. को आरोपी का बाया हाथ एवं श्री करण सिह एएसआई को आरोपी का दाहिना हाथ कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर उसी अवस्था में मौके से डिटेन कर समय 12.40 पी.एम पर पुलिस थाना सदर डूंगरपुर के एक कक्ष मे ले गये। जहा मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार से पूछा ये पैसे तुमने किस के लिए लिये है जिस पर उसने कहा की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के लिए लिये है। जिस पर आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल न. [redacted] से आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 12.43 पी.एम पर कॉल करवाया लेकिन आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने काल नही उठाया। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। तत्पश्चात आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने कहा की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर साहब मेरा कॉल नही उठायेगे वाटसअप काल ही उठायेगे। जिस पर आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल के वाटसअप नम्बर [redacted] से आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल के वाटसअप नम्बर [redacted] पर समय 12.47 पी.एम पर काल करवाया तो आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से कहा सर, तो आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने कहा हा, तो आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर से कहा पैसा आ गया है, तो आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने कहा ठीक है, आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने आरोपी से कहा पिसतालीस दिया है सर। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा विस्तृत हालात पुलिस उप अधीक्षक सर को जरिये दुरभाष निवेदन किये गये तथा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर को डिटेन कर ब्यूरो कार्यालय मे लाने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में रिश्वत राशि बरामद किया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी से आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की पहनी हुई पेन्ट बरंग कत्थई की आगे की बायी जेब की तलाषी लिवाई गई तो उक्त जेब से 500-

500 रूपये के कुछ नोट बरामद हुए, जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 90 नोट राशि 45000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर समान पाये गये उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 90 नोट राशि 45000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवष्यक हिदायत देकर सम्भलाई गई। इसके अलावा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के पास एक मोबाईल वीवो कम्पनी का हो जिसमे एक एयरटेल कम्पनी की सिम जिसके नम्बर [redacted] एक जीओ कम्पनी की सिम जिसके नम्बर [redacted] उक्त मोबाईल को स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी को सम्भलाया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के दोनों हाथों का धोवन एवं पहनी हुई पेन्ट बरंग कत्थई की आगे की बायी जेब का धोवन लिया जाना आवष्यक होने से कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से प्राईवेट वाहन में रखे हुए ट्रेप बाक्स को मंगवा कर ट्रैप बाक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में पीने के पानी की बोतल मे से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादीगण को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शीशियो को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH1 o RH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH1o LH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान, व ट्रैप पार्टी के सदस्य मय ट्रैप बाक्स, सीलचिट शिशिया, प्रिन्टर, लेपटाप, सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा व परिवादी का पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार को यथास्थिति साथ लेकर पुलिस थाना सदर डूंगरपुर से जरिये प्राईवेट वाहनों से समय 01.06 पी.एम पर रवाना होकर समय 01.20 पी.एम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पंहुचे। इसके पश्चात आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की पहनी हुई पेन्ट बरंग कत्थई की आगे की बायी जेब जहां से रिश्वत राशि 45000 रूपये बरामद की गयी, उक्त जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के लिए नया लोवर मंगवा कर आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की पहनी हुई उक्त पेन्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर दुसरा लोवर पहनाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से ट्रेप बाक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवा कर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त पेन्ट की आगे की बायी जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब के धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजिरान को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P1 o P2 अंकित कर उक्त सिलचिट षुदा षिषियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पष्चात् उक्त पहनी हुई पेन्ट बरंग कत्थई की आगे की बायी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेन्ट बरंग कत्थई को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 90 नोट राशि 45000 रूपये जो आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायीं जेब से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए हैं जो स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र खराडी के पास में सुरक्षित रखवाये गये थे जो श्री जितेन्द्र खराडी द्वारा पेश किये जाने पर उक्त रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 90 नोट राशि 45000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। कार्यवाही मे प्रयुक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को स्वतन्त्र गवाहान की मौजुदगी में जलाकर नष्ट किये गये। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर समय करीब 02.00 पी. एम पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 02.10 पी.एम पुलिस उप अधीक्षक सर मयं आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर व कानि. श्री दीपक तथा परिवादी श्री कन्हैयालाल

कटारा मय सरकारी वाहन के हाजिर कार्यालय आये। तत्पश्चात समय करीब 02.15 पी.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान, के समक्ष आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर व आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार से रिश्वत राशि लेने के सम्बधं मे पूछताछ की गई तो दलाल बैंक मित्र भुपेन्द्र कुमार आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के कहने पर सपरिवादी शंकरलाल कटारा से रिश्वत राशि 45000 रूपये लेना बताया, आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने बताया की कन्हैयालाल कटारा का बैंक मे खाता खुला हुआ है व अन्य परिवादीगण शंकरलाल व उसकी माता श्रीमति राजु का खाता खुला हुआ नही है आरोपी बैंक मित्र श्री भुपेन्द्र कुमार को भी पहचानना भी बताया। आरोपी भुपेन्द्र कुमार गत सात वर्ष से राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर के बाहर बीसी का कार्य करना एवं बैंक मैनेजर श्री अभिमन्यु कुमार सिंह से पहचान इसी वजह से होना बताया। तत्पश्चात समय करीब 02.45 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के समक्ष मेरे पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 09.10.2025 को समय 11.38 ए.एम पर सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा व आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली मे हुई रूबरू मांग सत्यापन वार्ता जिसे सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। दिनांक 09.10.2025 को समय 02.47 पी.एम, समय 02.48 पी.एम व 05.21 पी.एम तथा 05.28 पी.एम पर सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा के मोबाईल नम्बर[redacted]पर आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर[redacted] से हुई मोबाईल वार्ताओ जिसे सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेशचन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ताओ में सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। तथा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 04.50 पी.एम पर आरोपीगण के मकान की खाना तलाशि लिया जाना आवष्यक होने से खाना तलाशी के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान मुख्य अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डूंगरपुर जिला डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर भिजवाने बाबत् कार्यालय पत्र क्रमांक 1433 दिनांक 13.10.2025 जारी तहरीर जारी कर जरिये दुरभाष निवेदन किया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.00 पी.एम पर पाबन्दषुदा दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री भव्य ननोमा पिता श्री भुवनेश ननोमा जाति भील, उम्र 26 वर्ष निवासी फलोज पुलिस थाना दोवडा जिला डंगरपुर हाल सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड डूंगरपुर ग्रामीण व श्री नितेश कुमार डामोर पिता श्री गांगजी डामोर जाति भील उम्र 32 वर्ष निवासी गडा अरण्डिया तहसील साबला जिला डूंगरपुर हाल वरिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड डूंगरपुर शहर होना बताया। जिस पर उन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.05 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी से वीडियोग्राफी करने तथा वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) में रिकार्ड करने हेतु सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देशित किया गया था। जिस पर श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पष्चात इस समय सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के किराये के मकान हाउसिंग बोर्ड डूंगरपुर व आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के किराये के मकान बलाजी नगर डूंगरपुर में होना बताया जाने पर श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 के पास रखे एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) जो पूर्व में श्री बाबु लाल कानि0 को सुपुर्द किया गया था जिसे सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर, मय दोनों गवाहान श्री भव्य ननोमा व श्री नितेश कुमार डामोर, श्री करण सिंह एएसआई एवं श्री बाबु लाल कानि. तथा डिटेनशुदा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपट्रोप मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के किराये के मकान हाउसिंग बोर्ड डूंगरपुर की खाना तलाशी हेतु रवाना किया गया। तत्पष्चात समय करीब 06.05 पी.एम पर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर, मय दोनों गवाहान श्री भव्य ननोमा व श्री नितेश कुमार डामोर, श्री करण सिंह एएसआई एवं श्री बाबु लाल कानि. तथा के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार

परमार मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपट्रोप मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के किराये के मकान हाउसिंग बोर्ड डूंगरपुर की खाना तलाशी हेतु रवानाशुदा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के किराये के मकान हाउसिंग बोर्ड डूंगरपुर पंहुच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर प्राईवेट वाहन से रवाना ब्यूरो कार्यालय हाजिर आये। श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर ने उक्त फर्द खाना तलाषी मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 06.15 पी.एम पर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर, मय दोनों गवाहान श्री भव्य ननोमा व श्री नितेश कुमार डामोर, श्री करण सिंह एएसआई एवं श्री बाबु लाल कानि., श्री दीपक कानि तथा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर मय सरकारी मोबाईल फोन, लेपट्रोप मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के किराये के मकान बलाजी नगर डूंगरपुर की खाना तलाशी हेतु रवानाशुदा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के किराये के मकान बलाजी नगर पंहुच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर प्राईवेट वाहन से रवाना हो समय 08.55 पी.एम पर ब्यूरो कार्यालय हाजिर आये। श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक सर ने उक्त फर्द खाना तलाशी मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा आरोपीगण के किराये के मकानो की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पष्चात सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 8GB Micro SDHC) निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री भव्य ननोमा व श्री नितेश कुमार डामोर को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय करीब 09.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा तथा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर तथा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के समक्ष मेरे पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा दिनांक 13.10.2025 को समय 11.38 ए.एम पर सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मध्य राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली मे हुई रूबरू मांग सत्यापन वार्ता जिसे सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई। दिनांक 13.10.2025 को समय 12.11 पी.एम पर सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से हुई मोबाईल वार्ता जिसे सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी। दिनांक 13.10.2025 को समय 12.22 पी.एम पर सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा व आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मध्य सदर थाना चोराहा डूंगरपुर पर हुई रूबरू रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जिसे सपरिवादी श्री शकरलाल कटारा द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई। दिनांक 13.10.2025 को समय 12.48 पी.एम पर आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल नम्बर [redacted] व आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाटसअप से हुई वार्ता जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय के डिजीटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप से कनेक्ट करवाकर अवलोकन किया गया तो पाया की दिनांक 13.10.2025 को रिकोर्डशुदा वार्तायें डिजिटल टेप रिकार्डर के मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड होने की जगह डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकोर्ड हो गई है उक्त वार्ताओ को पृथक से मूल मेमोरी कार्ड मे सेव किया जायेगा। उक्त वार्ताओ को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेश चन्द्र कानि0 नम्बर 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड शुदा उपरोक्त वार्ताओ में सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा ने एक आवाज अपनी स्वयं की, एक आवाज परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा व एक आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की तथा एक आवाज आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसी प्रकार आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं एक आवाज सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की, एक आवाज परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा व एक आवाज दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार की होने होने की पुष्टि की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसी प्रकार आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं एक आवाज सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की तथा एक आवाज आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर की होने होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 11.30 पी.एम पर संदिग्ध श्री मनोहर परमार पिता श्री हरिश परमार जाति भील उम्र 23 वर्ष पेशा पढाई निवासी मु.पो. पगारा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर से मोबाईल नम्बर [redacted] के सम्बधं मे विस्तृत पूछताछ कर पूछताछ नोट बनाया जाकर शामिल पत्रावली की गई। तथा मो.न

[redacted] के सम्बधं मे आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार से पूछा गया तो उसने बताया की उक्त नम्बर से दिनांक 06,7,8.10.2025 मेने श्री कन्हैयालाल से बात की थी। समय करीब 11.45 पी.एम पर जरिये दुरभाष पाबन्दशुदा श्री अशोक कुमार पिता भगवान सहाय जाति रेगर निवासी खाटुश्यामजी जिला सीकर हाल सहायक बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर हाजिर ब्यूरो कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर के समक्ष दौराने ट्रैप कार्यवाही दिनांक 07.10.2025 को परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा व आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक मेताली डूंगरपुर मध्य रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 08.10.2025 को परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा एवं आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के बीच हुई मोबाईल व रूबरू वार्ता, दिनांक 09.10.2025 को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा एवं आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के बीच हुई रूबरू मांग सत्यापन व मोबाईल वार्ता, दिनांक 13.10.2025 को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा एवं आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के मध्य हुई रूबरू व मोबाईल वार्ता व दिनांक 13.10.2025 को आरोपी दलाल भुपेन्द्र कुमार परमार द्वारा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के बीच वाट्सअप कॉल वार्ता जो ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट कर सेव वार्ताओं को चलाकर श्री अशोक कुमार पिता भगवान सहाय जाति रेगर निवासी खाटुश्यामजी जिला सीकर हाल सहायक बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर को सुनाई गई तो उक्त दर्ज वार्ताओ में श्री अशोक कुमार ने एक आवाज श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर की होने की पुष्टि की व बताया की श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर के अधीनस्थ पदस्थापित होने से उनके द्वारा आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह की आवाज पहचानता हुं तथा अन्य आवाज की पहचान नही की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सम्बधीतो के हस्ताक्षर कराये जाकर सामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात श्री अशोक कुमार हाल सहायक बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर द्वारा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली के पत्र क्रमांक 186 दिनांक 13.10.2025 द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा, सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व श्रीमती राजु कटारा पत्नि रतना कटारा निवासी माथुगामडा खास रेलडा फला उक्त तीनों की लोन से सम्बधीत स्वयं द्वारा प्रमाणितशुदा रिकोर्ड उपलब्ध कराई गई जिसका अवलोकन किया गया तो राजस्थान ग्रामीण बैंक अटेस्टेशन मेमो श्री कन्हैयालाल पिता रतना कटारा निवासी माथुगामडा खास रेलडा फला के आवेदन पत्र क्रमांक [redacted] ऋण खाता संख्या [redacted] होकर वितरण दिनांक 06.10.2025 को पशुपालन/मत्स्य पालन किसान क्रेडिट कार्ड मे प्रथम वर्ष 2,34,000 रूपये स्वीकृत किये जिस पर श्री अशोक कुमार EC NO.22130 लिखा होकर हस्ताक्षर किये हुये है। शाखा प्रबन्धक अभिमन्यु कुमार सिंह EC NO 20710 लिखा हुआ हो आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर नही किये गये जिसकी किता 56 तथा राजस्थान ग्रामीण बैंक अटेस्टेशन मेमो श्री कन्हैयालाल पिता रतना कटारा निवासी माथुगामडा खास रेलडा फला के आवेदन पत्र क्रमांक [redacted] ऋण खाता संख्या [redacted] होकर दिनांक 16.09.2025 को किसान क्रेडिट कार्ड मे प्रथम वर्ष 1,75,000 रूपये स्वीकृत किये वितरण दिनांक 06.10.2025 अंकित हो जिस पर श्री अशोक कुमार EC NO 22130 लिखा होकर हस्ताक्षर किये हुये है। शाखा प्रबन्धक अभिमन्यु कुमार सिंह EC NO 20710 लिखा हुआ हो आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर नही किये गये जिसकी किता 44 व राजस्थान ग्रामीण बैंक अटेस्टेशन मेमो श्री शंकरलाल पिता रतना कटारा निवासी माथुगामडा खास रेलडा फला के आवेदन पत्र क्रमांक [redacted] ऋण खाता खुलवाने का ओनलाइन प्रक्रिया पूर्ण की गई है। श्री अशोक कुमार के EC NO.22130 लिखा हुआ है। शाखा प्रबन्धक अभिमन्यु कुमार सिंह लिखा EC NO 20710 कोई हस्ताक्षर नही किये हुये है जिसकी किता 75 तथा इसी प्रकार राजस्थान ग्रामीण बैंक अटेस्टेशन मेमो श्रीमति राजु कटारा पत्नि रतना कटारा निवासी माथुगामडा खास रेलडा फला के आवेदन पत्र क्रमांक [redacted] ऋण खाता खुलवाने का ओनलाइन प्रक्रिया पूर्ण की गई है। श्री अशोक कुमार के म्ब् छव्.22130 लिखा हुआ है। शाखा प्रबन्धक अभिमन्यु कुमार सिंह लिखा EC NO 20710 कोई हस्ताक्षर नही किये हुये है जिसकी किता 73 उक्त रिकोर्ड पर स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 14.10.2025 को समय करीब 12.05 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर तथा आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार तथा श्री मनोहर परमार के समक्ष आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से वाटसअप कॉल पर दिनांक 13.10.2025 की कि गई वार्ताओ की हिस्ट्री का स्कीनशॉट लिया जाकर श्री बाबु लाल कानि से कार्यालय के कम्प्युटर से प्रिन्ट निकलवाई गई। आरोपी के दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल नम्बर से [redacted] व [redacted] का अवलोकन किया गया तो सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दिनांक 13.10.2025 को वार्तायें होना पाया गया। उक्त वार्ताओ की हिस्ट्री का स्कीनशॉट लिया जाकर श्री बाबु लाल कानि से कार्यालय के कम्प्युटर से प्रिन्ट निकलवाई गई तथा श्री मनोहर परमार के मोबाईल नम्बर [redacted] का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा

के मोबाईल नम्बर Dnrp Kanya Mathugamda के नाम से सेव होकर दिनांक 06.10.2025, दिनांक 07.10.2025 तथा दिनांक 08.10.2025 को वार्तायें होना पाया गया। उक्त वार्ताओ की हिस्ट्री का स्कीनशॉट व मोबाईल नम्बर की ओनर का विवरण का स्कीनशॉट लिया जाकर श्री बाबु लाल कानि से कार्यालय के कम्प्युटर से प्रिन्ट निकलवाई जाकर। सम्बधीतो के हस्ताक्षर करवा कर सामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.15 ए.एम आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 ¼B½¼ii½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री कारी लाल परमार पिता श्री कानजी प्ररमार जाति भील उम्र 60 वर्ष सेवानिवृत निवासी मु.पो. पगारा पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर को नियमानुसार दी गई। तत्पश्चात समय करीब 12.30 ए.एम आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 (¼B½¼ii½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना के साले श्री अभिषेक कुमार सिंह पिता श्री नागेश्वर कुमार सिंह जो इस समय ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित है को नियमानुसार दी गई। तत्पश्चात समय करीब 12.45 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, व आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के समक्ष आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के मोबाईल की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से आरोपी के मोबाईल रीयल मी 10 प्रो5 जी जिसमे दो सिम एक एरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर[redacted] व दुसरी सिम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर[redacted] दुसरा मोबाइल रेडमी नोट 7 प्ररो जिसमे दो सीमे हो एक एरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर[redacted] व दुसरी सीम बीएसएनल कम्पनी की जिसके नम्बर आरोपी को ज्ञात नही होना बताया उक्त मोबाईल को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। जिसका मार्क R-1 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 01.00 ए.एम मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, व आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के समक्ष आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार के मोबाईल की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से आरोपी के मोबाईल वीवो कम्पनी मॉडल वाय 27 मय दो सिम एक एयरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] व दुसरी सिम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर[redacted] उक्त मोबाईलो को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। फर्द मूर्तिब की जाकर हाजरीन को पढकर सुनाई। पढ सुन समझ सही होना मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मार्क R-2 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 01.15 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, व श्री मनोहर परमार के समक्ष श्री मनोहर परमार के मोबाईल की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से श्री मनोहर परमार के मोबाईल वन प्लस कम्पनी मॉडल 10आर मय दो सिम एक एयरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] व दुसरी सिम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] उक्त मोबाईलो को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। फर्द मूर्तिब की जाकर हाजरीन को पढकर सुनाई। पढ सुन समझ सही होना मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मार्क R-3 उपरोक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 01.30 ए.एम आरोपीगण श्री अभिमन्यु कुमार सिंह तथा श्री भुपेन्द्र कुमार परमार को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु कार्यालय पत्रांक एसपीएल-01, 02, 03, 04 दिनाक़ 14-10-2025 दिये गये। आरोपी ने उक्त पत्रों पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हू एवं मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत करूंगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय करीब 03.05 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार का किराये का कमरा (मकान मालिक श्री देवेश पिता लक्ष्मीलाल मोदी निवासी 5/181 हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 05 डूंगरपुर) की खानातलाशी के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट करा विडियोग्राफीकाएक डब पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 8GB की तैयार की गयी। पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर एक खाकी लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.10 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार का किराये का कमरा (मकान मालिक श्री देवेश पिता लक्ष्मीलाल मोदी निवासी 5/181 हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 05 डूंगरपुर)

की खानातलाषी के दौरान श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-2 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.15 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह का किराये का मकान (मकान मालिक मकान मालिक श्री राजे लबाना) बालाजी नगर डूंगरपुर की खानातलाषी के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट करा विडियोग्राफी का एक डब पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 8GB की तैयार की गयी। पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक खाकी लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.25 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह का किराये का मकान (मकान मालिक मकान मालिक श्री राजेश लबाना) बालाजी नगर डूंगरपुर की खानातलाशी के दौरान श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-3 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में दलाल श्री भुपेन्द कुमार परमार रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्युटर सेकनेक्ट करा विडियोग्राफी की तीनपेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 8GB की तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव लिखा जाकर सीलचिट कर मार्क PVH दिया गया। तथा दुसरीडब पेनड्राईव, तीसरीआरोपी पेनड्राईव को अनशील्ड रखा जाकर खाकी लिफाफो में सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.35 ए.एम मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर में दलाल श्री भुपेन्द कुमार परमार से रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई का श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung dEiuh ds Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-1 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.40 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर मे अलग-अलग समय पर परिवादी की आरोपी, दलाल मोबाईल वार्ता, रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता एवं वाट्सएप मोबाईल पर हुई समस्त वार्ता क्रमष दिनांक 07.10.2025 को समय 2.26 पीएम, 3.28 पीएम, समय 3.43 पी.एम. पर व दिनांक 08.10.2025 को समय 11.16 ए.एम., 12.24 पीएम, 12.28 पीएम, 12.33 पीएम समय 12.44 पी.एम. समय 12.46 पी.एम., समय 02.10 पी.एम., समय 03.02 पीएम समय 03.03 पी.एम., समय 03.24 पी.एम. व समय 04.32 पी.एम., दिनांक 09.10.2025 को समय 11.38 ए.एम, समय 2.47 पीएम, समय 2.48 पी.एम., 5.21 पीएम व समय 5.28 पी.एम. व दिनांक 13.10.2025 को अलग-अलग समय पर मोबाईल वार्ता, वाट्सएप मोबाईल वार्ता एवं रूबरू हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता क्रमष समय 11.38 ए.एम., समय 12.22 पीएम एवं समय 12.48 पी.एम. पर वार्ताऐं जो

प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी कम्प्युटरमें कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव तथा तीसरी पेनड्राईव पर आरोपी लिखा गया। मूल पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क PD अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। डब पेनड्राईव व आरोपी पेनड्राईव को अनषील्ड रखा जाकर खाकी लिफाफो में सुरक्षित रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.45 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपूर व दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर मे अलग-अलग समय पर परिवादी की आरोपी, दलाल मोबाईल वार्ता, रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता एवं वाट्सएप मोबाईल पर हुई समस्त वार्ता क्रमष दिनांक 07.10.2025 को समय 2.26 पीएम, 3.28 पीएम, समय 3.43 पी. एम. पर व दिनांक 08.10.2025 को समय 11.16 ए.एम., 12.24 पीएम, 12.28 पीएम, 12.33 पीएम समय 12.44 पी. एम. समय 12.46 पी.एम., समय 02.10 पी.एम., समय 03.02 पीएम समय 03.03 पी.एम., समय 03.24 पी.एम. व समय 04.32 पी.एम., दिनांक 09.10.2025 को समय 11.38 ए.एम, समय 2.47 पीएम, समय 2.48 पी.एम., 5.21 पीएम व समय 5.28 पी.एम. व दिनांक 13.10.2025 को अलग-अलग समय पर मोबाईल वार्ता, वाट्सएप मोबाईल वार्ता एवं रूबरू हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता क्रमष समय 11.38 ए.एम., समय 12.22 पीएम एवं समय 12.48 पी.एम. पर वार्ताऐं जो ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकार्डर को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी कम्प्युटरसे कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मेमोरी कार्ड बरंग Sandisk Micro SD HC 8 GB मेमोरी कार्ड कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M अंकित किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 12.40 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय् सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, श्री करण सिंह एएसआई व श्री महेशचन्द्र कानि के मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन के घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु पुलिस थाना सदर चोराहा डूंगरपुर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय करीब 01.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय् सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा व परिवादी के पुत्र श्री शैलेष कटारा, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र खराडी, श्री अनिल कुमार जैन, श्री करण सिंह एएसआई व श्री महेशचन्द्र कानि के मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन के घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु रवानाषुदा पुलिस थाना सदर चोराहा डूंगरपुर पंहुचकर नियमानुसार सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा की निशा देही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर सरकारी वाहन से रवाना हो हाजिर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर आये। तत्पश्चात समय करीब 02.15 पी.एम पर श्री परमेश्वर गुप्ता पिता रामराये गुप्ता उम्र 59 वर्ष निवासी बुन्दी पुलिस थाना सदर बुन्दी हाल क्षेत्रीय प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक बांसवाडा हाजिर ब्यूरो कार्यालय आये। जिन्होने आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक बांसवाडा का स्वयं के हस्ताक्षर मय मोहर के प्रमाणितशुदा सेवा विवरण पेश किया जिसे बाद अवलोकन स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवा सामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय करीब 02.30 पी.एम पर पूर्व पाबन्धशुदा श्रीमती राजश्री सोंलकी पत्नि ललित सिंह परिहार निवासी 10, धुलकोट पायडा, पायडा रोड उदयपुर हाल बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा जिला डूंगरपुर हाजिर ब्यूरो कार्यालय आये स्वतन्त्र गवाहान व आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र राजस्थान ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा डूंगरपुर के समक्ष दौराने ट्रैप कार्यवाही दिनांक 13.10.2025 को सपरिवादी शंकरलाल व आरोपी का दलाल भुपेन्द्र कुमार परमार के मध्य मोबाईल वार्ता व रूबरू रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता व आरोपी का दलाल भुपेन्द्र कुमार परमार एवं श्री अभिमन्यु कुमार सिंह के बीच वाट्सअप कॉल वार्ता जो ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर मे रिकार्डशुदा वार्ताओं को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट कर सेव वार्ताओं को चलाकर श्रीमती राजश्री सोंलकी पत्नि ललित सिंह परिहार निवासी 10, धुलकोट पायडा, पायडा रोड उदयपुर हाल बैंक मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा जिला डूंगरपुर को सुनाई गई तो उक्त दर्ज वार्ताओ में श्रीमती राजश्री सोंलकी ने एक आवाज श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मुख्य शाखा डूंगरपुर की होने की पुष्टि की व बताया की श्री भुपेन्द्र कुमार परमार, बैंक मित्र होने एवं मेरी बैंक मे आना-जाना होने से आरोपी श्री भुपेन्द्र कुमार परमार बैंक मित्र की आवाज पहचानती हुं तथा अन्य आवाज की पहचान नही की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बधीतो के हस्ताक्षर करवाये गये। राजस्थान ग्रामीण बैंक डूंगरपुर के पत्र क्रमांक Dun/rgb/3 दिनांक 14.10.2025 से बैंक मित्र श्री भूपेन्द्र कुमार परमार का प्रमाणितशुदा सेवा विवरण रिकार्ड कुल किता 13 पेश किये जिसे बाद अवलोकन स्वतन्त्र गवाहान के

हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किया गयाइस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया हैं कि परिवादी श्री कन्हैयालाल पिता रतना कटारा निवासी रेलडा फला माथुगामडा जिला डूंगरपुर ने उपस्थित चोकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आश य कि पेश की "मुझ प्रार्थी कन्हैयालाल पिता रतना कटारा निवासी रेलडा फला माथुगामडा जिला डूंगरपुर का निवेदन है कि मेरे व मेरे भाई शंकरलाल व मेरी माँ राजु के नाम से राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा मेताली से हमने हमारी कृषी भुमी पर लोन के लिए अलग अलग आवेदन किया है जिसमे मे मेरे 4 लाख रूपए का लोन के लिए व मेरे भाई व मेरी माँ के नाम से भी उनहोने लोन के लिए आवेदन किया है हम तिनो के लिए कुल 11 लाख रूपये के लिए आवेदन किया था जिसके हमारे लोन पास हो गया है मेरे 4 लाख लोन मे से कल दिनांक 06.10.25 को मै बैंक मे गया तब बैंक मेनेझर अभिमन्यु कुमार सिंह से मिला तो उन्होने मुझे 2 लाख रूपऐ लोन के दिये 2 लाख रूपऐ बाकी रखे व कहा कि तुम्हारे व तुम्हारे परिवार वालो के मेने जो 11 लाख रूपऐ का लोन पास किया है उसके लिए तुम मुझे पचास हजार रूपऐ दो जो 50 हजार रूपऐ मे बताता हु उसको दे देना फिर आज भी मे मेरे बाकी दो लाख रूपये लेने बैंक मे गया तो मेनेझर ने लोन पास करने के लिए मेरे से 50 हजार रूपऐ कि रिश्वत मान्गी है व कहा कि मेरा आदमी तुम्हारे से सम्पर्क करेगा उसको पैसे दे देना आज दिन मे मेरे मोबाईल न. [redacted] पर नम्बर [redacted] से मोबाईल कॉल आया और बोला कि मे मेनेझर का आदमी बोल रहा हु जो काम मेनेझर ने बोला है वो मेरे को कर दो। उसके बाद मै व मेरा बेटा शैलेष यहा पर आए है मेरी बैंक मेनेझर से कोई लेन देन बाकी नही है एवं नही उससे कोई पुरानी रणजीस है यह प्राथना पत्र मेरे बेटे ने लिखा है मे बैंक मेनझर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं कार्यवाही करावे"। परिवादी की रिपोर्ट एवं जरिये दरियाफ्त मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर नियमानुसार मांग सत्यापन कराया गया तो दौराने मांग सत्यापन आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह, बैंक मैनेजर द्वारा परिवादी श्री कन्हैयालाल कटारा से 50,000/-रूपये अपने परिचित व्यक्ति के मार्फत रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ। जिस पर दिनांक 13.10.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह बैंक मैनेजर के कहे अनुसार दलाल श्री भुपेन्द्र कुमार परमार बैंक मित्र मुख्य शाखा राजस्थान ग्रामीण बैंक को सपरिवादी श्री शंकरलाल कटारा से आरोपी की मांग अनुसार 45,000/-रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया हैं, जो जुर्म अन्तर्गत धारा- 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध हैं।अत आरोपी श्री अभिमन्यु कुमार सिंह पुत्र श्रीअरूण सिंह जाति तोमर राजपुत उम्र 32 वर्ष निवासी कौडिया तहसील जगदीसपुर पुलिस थाना बीहीया जिला भोजपुर बिहार हाल अस्थाई निवास एच 224 नई पोलिस लाइन टाइप 01 किंग्सवाय कैंप डॉ मुखर्जी नगर, उत्तर पश्चिमी, मॉडल टाउन नई दिल्ली हाल प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर एवं श्री भुपेन्द्र कुमार परमार पुत्र कारीलाल परमार जाति भील उम्र 25 वर्ष निवासी गांव पगारा पुलिस थाना दोवडा हाल बैंक मित्र राजस्थान ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा डूंगरपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं।भवदीय,(राजेन्द्र सिंह)पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,डूंगरपुर.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1-श्री अभिमन्यु कुमार सिंह पुत्र श्री अरूण सिंह जाति तोमर राजपुत उम्र 32 वर्ष निवासी कौडिया तहसील जगदीसपुर पुलिस थाना बीहीया जिला भोजपुर बिहार हाल अस्थाई निवास एच 224 नई पोलिस लाइन टाइप 01 किंग्सवाय कैंप डॉ मुखर्जी नगर, उत्तर पश्चिमी, मॉडल टाउन नई दिल्ली हाल प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली जिला डूंगरपुर एवं 2- श्री भुपेन्द्र कुमार परमार पुत्र कारीलाल परमार जाति भील उम्र 25 वर्ष निवासी गांव पगारा पुलिस थाना दोवडा हाल बैंक मित्र राजस्थान ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा डूंगरपुरके विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त् पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 463 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1541-44 दिनांक 15-10-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-महाप्रबन्धक,राजस्थान ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यलय-जयपुर(केम्प ऑफिस जोधपुर), ।,4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर । पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RISHIKESH MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/11/1993				
2	Male	2000				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)